दैनिक नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com
रायपुर, शुक्रवार 27 नवम्बर 2020, कार्तिक शुक्ल पक्ष-द्वादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-283 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

बुडबक है बिहार के वे नेता जो लालू यादव को रांची के सरकारी बंगले से हटाकर नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेजने की मांग कर रहे हैं। लालू इतने चालू हैं कि अगर तिहाड़ जेल पहुंच गए तो वे वहां के जेल अधीक्षक के बंगले पर काबिज हो जाएंगे। अभी तो वे बिहार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे यदि वे तिहाड़ जेल पहुंच गए तो केन्द्र सरकार को गिराने की साजिश रच देंगे। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेराफेरी से नहीं। लालू जैसे संतन के जहां भी पांव पड़ेंगे वहां बंठाधार होकर रहेगा।

तबाही का निवार, तमिलनाडु में तीन मृत, छग में आज फिर बारिश के आसार

चेन्नई/रायपुर/ए./नवप्रदेश। चक्रवाती तूफान निवार गुरुवार की सुबह मरक्कानम और पुडुचेरी के बीच तट से टकरा गया। इसकी चपेट में आने से तमिलनाडु में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। हालांकि कुछ घंटों बाद तूफान कमजोर पड़कर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ गया, जिसके कारण इसका गुरुवार को असर हल्की से मध्यम बारिश के रूप में ही देखा गया। शुक्रवार को भी प्रदेश के सभी संभागों में एक-दो स्थानों

पर हल्की बारिश व गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी एक बुलेटिन में बताया गया ■ शेष पृष्ठ 6 पर

तमिलनाडु में 101 घर क्षतिग्रस्त

मरक्कनम और पुडुचेरी में गुरुवार सुबह निवार के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ तूफान के आगे बढ़ने के दौरान इससे 89 झोपड़ियों और 12 घरों सहित कुल 101 घर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 26 मवेशी और बकरियां तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण मर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

3085 राहत शिविर

राज्य सरकार ने कुल 3085 राहत शिविर बनाए हुए थे, जिनमें 93,030 पुरुष और 94,105 महिलाओं तथा 40,182 बच्चों सहित 2,27,317 लोग रुके हुए हैं। सरकार ने इसके अलावा 921 चिकित्सा शिविर, 234 मोबाइल शिविर स्थापित किए है जिसका 73,491 लोगों ने लाभ उठाया है।

चेन्नई में हवाई, मेट्रो रेल, बस सेवाएं फिर से शुरू

चक्रवाती तूफान निवार के गुरुवार सुबह मरक्कानम और पुडुचेरी के बीच तट से टकराने और इससे गुजरने के बाद हवाई, बस परिवहन सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया । चेन्नई हवाई अड्डे से उड़ान सेवा एहतियाती तौर पर बुधवार शाम सात बजे से 12 घंटे तक बंद रखने के बाद आज सुबह शुरू हो गयी हैं। उन्होंने बताया हवाई अड्डा सुबह सात बजे खुल गया हालांकि मुंबई और दिल्ली से दो विमान रन-वे पर मरम्मत के कार्य चलने के कारण उतर नहीं पाए। भारी बारिश के कारण रन-वे पर पानी भर गया था।

खास- खबर

सेना के पेट्रोलिंग दल पर आतंकवादी हमले में दो जवान शहीद

श्रीनगर/ए.। गुरुवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) पर हुए आतंकवादी हमले में दो सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। इस हमले तीन आतंकवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमले में दो सैनिक भी शहीद हो गए हैं। वहीं दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए।

भाई-भाभी और भतीजे को जिंदा जलाकर युवक ने की खुदकुशी

अनूपपुर/नवप्रदेश। एक युवक ने अपने भाई, भाभी और भतीजों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। हालांकि एक भतीजे को बचा लिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि तीन लोग जलकर खाक हो गए। घटना बुधवार रात करीब 1:30 से 2 बजे की है। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपक ने पारिवारिक विवाद में अपने भाई, भाभी व भतीजे को जिंदा जलाया। इसके बाद आरोपी ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

भारत में खेल सकेंगे पबजी मोबाइल इंडिया, केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली/ए.। पबजी मोबाइल गेम के भारतीय चहेते फिर से ये गेम खेल सकेंगे। इस गेम को भारत में मंजूरी का रास्ता अब साफ हो गया है। पबजी मोबाइल इंडिया की लांचिंग की घोषणा के बाद अब इस गेम के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। पबजी मोबाइल इंडिया अब भारत में पंजीकृत कंपनी बन गई है।

शेयर बाजार

- **सेंसेक्स**- 44259.74
- **निफ्टी**- 12987
- **गोल्ड**- 48707 (10 ग्रा.)
- **सिल्वर**-59940 (1 कि ग्रा.)

राशन पानी के साथ बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे किसान

कृषि कानूनों के विरोध में अब आर-पार की 'लड़ाई'!

- ■ हरियाणा में प्रवेश के वक्त पुलिस ने आंसू गैस तथा वाटर कैनन का किया इस्तेमाल
- ■ दिल्ली में पुलिस सतर्क, हरियाणा बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग से लंबा जाम

नई दिल्ली/ए.। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए राशन-पानी के साथ दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। गुरुवार को उग्र हुए किसानों ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में कोहराम मचा दिया। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हालात संभलते नहीं दिखे। पुलिस ने गुरुवार को हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे किसानों के एक समूह को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते शंभू बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, रोके जाने से गुस्साए किसानों ने जहां पुलिस बैरिकेड्स को उठाकर घग्गर नदी में फेंक दिया, वहीं पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया गया। इस दौरान कई किसान हाथों में काले झंडे लिए भी नजर आए। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने ■ शेष पृष्ठ 6 पर

दिल्ली में भी किसानों को रोकने की पूरी तैयारी

वहीं, किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ऐहतियातन दिल्ली से सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर भी भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किए गए हैं और ऐतिहात के तौर पर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेट्रो सेवा को रोक दिया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाले हर वाहनों की जांच की जा रही है।

स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव को लिया हिरासत में : किसानों के साथ धरना देने दिल्ली जा रहे स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव सहित 20 किसानों को गुरुग्राम पुलिस ने गांव राठीवास के पास से हिरासत में ले लिया।

भीषण ठंड में किसानों पर पानी की बौछार भारी अन्याय : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करने को अन्याय बताते हुए गुरुवार को कहा कि सरकार विरोध कर रहे किसानों की बात सुनने की बजाय उनकी आवाज़ को दबा रही है। गांधी ने ट्वीट किया, 'किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसानों की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। किसानों से सबकुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजा कर बैंक, कर्जमाफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं।

देशभर में श्रमिकों ने भी की हड़ताल

नई दिल्ली/ (वार्ता)। *केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को देश भर के मजदूर संगठन और किसान संगठन सड़कों पर उतर गए और जगह जगह धरने प्रदर्शन तथा रैलियों का आयोजन किया गया। वाम समर्थित 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी समर्थक भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हैं। मजदूर संघ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। मजदूरों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हैं।*

संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री के संदेश को सुना बच्चों ने

संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने सबको लेना होगा संकल्प : भूपेश

- ■ प्रदेशवासियों को दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संविधान दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वेबिनार में अपने संदेश में कहा कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना हमारे संविधान का अंतिम लक्ष्य है। हम सबको यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने महान संविधान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जब तक हमारा संविधान सुरक्षित है तभी तक हमारा देश और यहां रहने वाला हर व्यक्ति और उसका भविष्य सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और संविधान निर्माताओं को नमन ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नम आंखों से कांग्रेस के चाणक्य को दी गई विदाई

अलविदा अहमद भाई... सीएम ने किया ट्वीट

रायपुर। *बाद नमाज़ सुपुर्दे खाक कर दिए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गुजरात कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल। उनको कांधा देने के लिए सीएम भूपेश बघेल भी गुजरात गए थे। नम आंखों से अपने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की अंतिम यात्रा में शिरकत करने के बाद सीएम श्री बघेल ने ट्वीट किया और बस इतना ही लिखा... अलविदा अहमद भाई...। कोरोना की वजह से अहमद पटेल का बुधवार सुबह निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव देह को उनके गृह क्षेत्र गुजरात के भरूच लाया गया था।*

आदिवासी जूनियर इंजीनियर की मौत पर सीएम ने कहा

गंभीर मामला, मौत की जांच और कार्रवाई भी निश्चित होगी

रायपुर। सूरजपुर पुलिस हिरासत में एक आदिवासी जूनियर इंजीनियर की मौत के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता भी लगातार परिवार के आरोपों पर समर्थन देते हुए पुलिस और सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर धावा बोल दिया है। ऐसे में गुजरात से लौटते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया कि मौत गंभीर मामला है। जूनियर इंजीनियर की मौत की जांच हो रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी निश्चित ही होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन भाजपा नेताओ के सियासी ■ शेष पृष्ठ 6 पर

एक राष्ट्र-एक चुनाव देश की जरूरत : मोदी

नई दिल्ली/ (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक राष्ट्र-एक चुनाव को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि अलग-अलग समय पर चुनावों से खर्च तो बढता ही है विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। मोदी ने गुजरात के केवडिया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा, एक महत्वपूर्ण विषय है चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं।

इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली-भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शन और पहल कर सकते हैं। इसके लिए लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायत चुनाव सबके लिए एक ही मतदाता सूची बनायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा , इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हरेक के लिए अलग-अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं।

बीजापुर : नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई पर बनी रणनीति

- ■ आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार ने सीआरपीएफ, कोबरा एवं राज्य के पुलिस अधिकारियों से की चर्चा

बीजापुर/ नवप्रदेश। नक्सलियों के खिलाफ को लेकर बीजापुर में रणनीति बनी है। आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार ने जिला बीजापुर में सीआरपीएफ, कोबरा एवं स्टेट पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर नक्सलियों के विरुद्ध क्षेत्र में लड़ाई पर विशेष चर्चा की। बैठक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीजी डॉ. एपी महेश्वरी, विशेष पुलिस महानिदेशक, छग, अशोक जुनेजा, सीआरपीएफ एसडीजी कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ ऑप्स एडीजी जुल्फीकर हसन, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. समीर एस. इलमे, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ डीटीई नलिन प्रभात, पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ छग प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक कोबरा केके शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर सुंदरराज पी., उप महानिरीक्षक सीआरपीएफ कोमल सिंह, पुलिस अधीक्षक बीजापुर कमलोचन कश्यप, एवं सीआरपीएफ के कमांडेंट उपस्थित ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मुठभेड़ में एक लाख का इनामी जनमिलिशिया सदस्य ढेर

बीजापुर - नवप्रदेश। *जिले में चलाये जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक जनमिलिशिया सदस्य को मार गिराया है। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है। थाना कुटरू से डीआरजी और जिला बल की टीम मिनगाचल नदी के किनारे दरभा, तेलीपेंट की ओर निकली थी। इसी बीच दरभा के जंगलों में गुरुवार तड़के पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। इसमें एक नक्सली को मार गिराने मे पुलिस बल को सफलता मिली। मौके से एक एसबीएमएल रायफल, पिट्ठू, नक्सल सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। मारे गए नक्सली* ■ शेष पृष्ठ 6 पर

डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 28 से

रायपुर। हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी के साथ ही व्यावसायिक पूरक परीक्षा 2020 और डीएलएड प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा परसों 28 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा में इस बार करीब 87 हजार छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। माशिमं सूत्रों ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों को कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए कहाा गया है। परीक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। परीक्षा में शामिल होने वाले ■ शेष पृष्ठ 6 पर

हकीकत पाकिस्तान ने आतंकी संगठन के प्रमुख हाफिज सईद को गुपचुप जेल से निकाला

घर से टेरर फैक्ट्री चला रहा है लश्कर सरगना सईद : रिपोर्ट

नई दिल्ली/ए.। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित आतंकी सरगना हाफिज सईद जेल की सजा नहीं काट रहा है, बल्कि लाहौर के जोहर टाउन स्थित घर में ठाठ से रह रहा है और वहीं से टेरर फैक्ट्री चला रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले से अवगत अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। सईद को आधिकारिक रूप से जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इस साल फरवरी में टेरर फाइनेंसिंग केस में उसे 10 साल छह महीने जेल की सजा सुनाई गई। इसे अमेरिका की ओर से एक अहम कदम बताया गया था। पिछले

सप्ताह दो अन्य मामलों में उसे सजा सुनाई गई है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हाफिज सईद की न्यायिक हिरासत को लेकर पाकिस्तान ने किस तरह का पेपरवर्क किया है।

मेहमान भी मिल सकते हैं

हाफिज सईद की गिरफ्तारी और दोषी करार दिए जाने को इमरान खान सरकार की ओर से फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने से बचने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि, भारतीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक, हाफिज सईद लाहौर के कोट लखपत जेल में नहीं है। एक अधिकारी ने कहा, 'वह अधिकतर घर पर ही रहता है। वह ऐसी कस्टडी में है कि घर पर मेहमान भी उससे मुलाकात कर सकते हैं।

लखवी भी पहुंचा था मिलने

इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक पिछले महीने सईद के घर जकी-उर रहमान लखवी भी पहुंचा था जोकि लश्कर-ए-तैयबा के जिहाद विंग का ऑपरेशनल कमांडर है। इस बैठक का अजेंडा जिहाद के लिए फंड जुटाने पर केंद्रित था। सईद की तरह लखवी भी यूएनएससी की ओर से प्रतिबंधित है और 26/11 मुंबई आतंकी हमले का साजिशकर्ता है। अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान में उसे कई बार गिरफ्तार तो किया गया लेकिन हाफिज सईद की तरह सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि यह लखवी ही था जिसने 26/11 हमलों से पहले भारत में रेकी के लिए पाकिस्तान में जन्मे अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को राजी किया और उसे गाइड किया।

एम्स में कोरोना से उबर रहे मरीज ने दूसरी मंजिल से कूदकर दी जान

रायपुर/ए.। एम्स रायपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। एम्स सूत्रों के मुताबिक, खास बात यह है कि 49 साल का यह मरीज कोरोना से उबर रहा था। उसे 22 नवंबर को किसी दूसरे अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था। बुधवार को जांजगीर चांपा का यह मरीज नार्मल हो गया था, जिसके कारण उसका ऑक्सीजन हटा दिया गया था। गुरुवार को सुबह 11-11:30 बजे डॉक्टरों ने उसे देखा भी था। करीब 12 बजे वह

कोविड की दवाओं के इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इस पर लगातार अध्ययन चलते रहता है। हालांकि अब तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कोरोना की दवा से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। हां, लेकिन कोरोना मरीजों के साथ साइकेट्रिक प्राब्लम होती है। लेकिन इस मामले में मरीज में काफी सुधार हो गया था। उसे दो-तीन में डिस्चार्ज किया जाना था।

-डॉ. प्रो. नितीन एम. नागरकर, डायरेक्टर एम्स

बॉथरूम गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर एल्युमिनियम की जाली तोड़कर उसने छलांग लगा ली। सिर में फ्रैक्चर आने से उसका काफी अधिक खून बह गया। उसे तुरंत ही आईसीयू में ले जाया गया, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। एम्स सूत्रों की मानें तो इस मरीज में निगेटिविटी का भाव नहीं लग रहा था। ऐसे संदिग्ध मरीजों को ग्राउंड फ्लोर पर ही भर्ती किया जाता है। एम्स सूत्रों के मुताबिक मृतक का पोस्ट मार्टम किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

न्यूज गैलरी

लापरवाही पर निगम ने वसूले 16 सौ

रिसाली। त्यौहारी सीजन के निकलने और तापमान में गिरावट आते ही कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। इसकी मूल वजह लापरवाही ही है। इसे देखते हुए अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने सख्ती बरतने निर्देश दिए है। गुरूवार को अभियान चलाकर निगम अधिकारियों ने कुल 16 सौ जुर्माना वसूला। निगम क्षेत्र में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ एक बार फिर कार्यवाही की जा रही है। निगम की टीम बाजार क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रों में पैनी नजर रख रहे है।

पौनी पसारी कार्य का भूमिपूजन

भिलाई.03। निगम भिलाई चरौदा क्षेत्रांतर्गत वार्ड 19 में महती योजना पौनी पसारी निर्माण कार्य हेतु पंचशील नगर, पश्चिम चरौदा में महापौर चंद्रकांता माण्डले के अतिथ्य में एवं एमआईसी सदस्य चन्द्रप्रकाश पण्डे, किशोर साहू, आशा यादव, नंदनी जांगड़े, वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य अपर्णा दास गुप्ता की उपस्थिति में पं. राकेश तिवारी द्वारा मंत्रोपचार कर भूमिपूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस दौरान नागरिक विश्वनाथन आचार्य, केएन तिवारी, बीएल चोबे, मोहन निर्मलकर, बिरेन्द्र गढ़ेवाल, बलई शील, महबूब खान, एमएस राव, प्रसुन्न बेनर्जी, संतोष साहू आदि उपस्थित थे।

यूनियनों का फूटा गुस्सा, कई जगह प्रदर्शन व नारेबाजी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा केंद्र सरकार की कथित मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल का दुर्ग-भिलाई में व्यापक असर रहा। भिलाई स्टील प्लांट के मेनगेट के अलावाए बोरिया और मरोदा गेट पर कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलग.अलग यूनियनों के नेताओं के साथ ठेका श्रमिक भी हड़ताल में शामिल हुए। बीएसपी प्रबंधन ने कर्मियों को हड़ताल में शामिल नही होने की चेतावनी दी थी। जो काम नहीं आई। दुर्ग में बीएसएनएल कर्मचारियों ने दफ्तर के सामने एकत्रित होकर यूनियन नेता रवि भट्ट के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। वहीं एआईयूटीयूसी के अलावा फेडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश.छत्तीसगढ़ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन ने गांधी प्रतिमा हिन्दी भवन के पास धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी प्रकार एलआईसी के कर्मचारी भी

हड़ताल पर रहे। उन्होने दुर्ग एलआईसी भवन के सामने केन्द्र सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरडीआईईयू उपाध्यक्ष व इकाई सचिव एसके लहरी, अध्यक्ष सुखेश त्रिवेदी, रोशन लाल, मोहन ऊम्रबरकर के अलावा बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।

हड़ताल का असर कुछ बैंकों में कामकाज ठप्प रहा है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिलाई स्टील मजदूर सभा एटक के महासचिव विनोद कुमार सोनी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम मापदंड हो या सौ वर्षों से अधिक समय से मजदूर आंदोलनों की उपलब्धियों के रूप में बनाए गए 44 केन्द्रीय श्रम कानूनों के श्रम अधिकारए सबको संसद के बहुमत का दुरुपयोग कर कोविड 19 महामारी के कहर एवं प्रतिबंधित गतिविधि काल का फायदा उठाकर दफ्न कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने श्रमिक संगठनों की 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल को पहले ही अवैध घोषित करते हुए इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी जारी की थी। प्रबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 26 नवंबर को कार्य में अनुपस्थिति को हड़ताल में भाग लेना माना जाएगा। ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए वेतन कटौती के अतिरिक्त कंपनी के स्थाई आदेशों संयंत्र, खदान, एचएसएल अनुशासन व अपील नियम एवं कंपनी के अन्य लागू नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बावूजद प्रबंधन की चेतवानी को सिरे से नकारते हुए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। सीटू की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय ने हड़ताल को अवैध करार नहीं दिया है।

प्रबंधन की ओर से जारी परिपत्र से कर्मियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली में सेल चेयरमेन से मिले विधायक देवेंद्र

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। महापौर व विधायक देवेंद्र यादव आज दिल्ली में अनिल कुमार चौधरी चेयरमेन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार नई दिल्ली से मुलाकात किए। जहां करीब 3 घंटे तक भिलाईवासियों सहित बीएसपी कर्मचारी व रिटायर्ड कमियों आदि सभी के हित और विकास के विभिन्न विषयों को लेकर लंबी चर्चा की। साथ ही विधायक देवेंद्र ने चेयरमेन अनिल कुमार चौधरी को सभी विषयों पर लंबी चर्चा करने के साथ ही बैठक में बीएसपी श्रमिकों सहित

अधिकारियों.कर्मचारियों की मांगों को लेकर भी लंबी चर्चा की और इन सभी श्रमिकोंए अधिकारी व कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने विशेष चर्चा कर मांग रखी। विधायक श्री यादव ने चेयरमेन अनिल कुमार चौधरी को मांग पत्र सौंपा। जिस पर चेयरमेन अनिल कुमार चौधरी ने विधायक श्री यादव को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही पहल करेंगे।

महापौर व विधायक द्वारा रखी मांगों में सेलए भिलाई इस्पात द्वारा लीज पर आंबटित भूमि के लीज नवीनीकरण की नियम व शर्तों में किये गये संशोधनए छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नीतियों एवं नियमों के विपरीत होने से उत्पन्न विवाद का निराकरण करने के लिए उचित कार्यवाही किये जाने हेतु की गई। महापौर ने बताया कि टाउनशीप के विभिन्न सेक्टरों में स्थित मार्केट के दुकानदारों ने मुझे अभ्यावेदन दिया गया है। जिसमें उन्होंने राज्य शासन की ओर से उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

विकास कार्यों में लेटलतीफी पर महापौर ने जताई नाराजगी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। शहर में चल रहे विकास कार्यो में लेटलतीफी की शिकायतें मिलने पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने आज गवली पारा और राजेन्द्र पार्क एरिया के साथ ही सिकोला बस्ती वार्ड का भ्रमण किया। निर्माण कार्यो के निरीक्षण के दौरान निगम अफसरों और ठेकेदारों को लेटलतीफी न करने के निर्देश दिए। उन्होंने गवलीपारा में पुलिया निर्माण कार्य तीन दिनों के भीतर में पूरा करने कहा। निरीक्षण के दौरान लोककर्म प्रभारी अब्दुल गनी सहायक अभियंता जितेन्द्र समैया मौजूद थे। लंगूरवीर वार्ड 31 के गवली पारा में अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान पुलिया टूट गई थी। इसका निर्माण किया जा रहा है।

महापौर ने कहा कि इस मार्ग पर काफी आवाजाही होती है। आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अमृत मिशन के ठेकेदार को बुलाकर तीन दिनों में पुलिया निर्माण पूरा करने सख्त निर्देश दिए। महापौर ने वार्ड 29 में राजेन्द्र पार्क से दादा.दादी, नाना.नानी पार्क तक सड़क किनारे लगाए जा रहे पेवर ब्लाक कार्य का निरीक्षण किया। सड़क के दूसरी तरफ भी पेवर ब्लाक लगाने का प्रस्ताव बनाने अधिकारियों को निर्देश दिये। महापौर ने निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने कहा। भ्रमण के दौरान वार्ड 16 सिकोला बस्ती के पार्षद खिलावन मटियारा से मुलाकात की और उनके वार्ड में चल रहे विकास कार्यो की जानकारी ली।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. 202011100400439

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शशीकांत अग्रवाल आ. दमन गोपाल अग्रवाल निवासी रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 729/13 रकबा 0.02 हें/ 2250 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 21.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई.कोर्ट	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं.
	श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा	202011100400275

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रविन्द्र सिंह कुशवाहा आ. श्री टी.पी.एस. कुशवाहा निवासी न्यू आनंद नगर जुनवानी भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	631	0.030 हें 3267 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता नील चौहान पिता श्री सुनील चौहान निवासी भुरकुनी तहसील अभनपुर जिला रायपुर के द्वारा भूधारक/ विक्रेता प्रवीण भाई चावड़ा पिता स्व. रतिलाल व अन्य निवासी फाफाडीह तह. व जिला रायपुर के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि मौजा ग्राम चोरहा प.ह.न. 49 तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 335/1 रकबा 0.166 हे. लगान अभिलेख अनुसार की भूमि भूधारक से पंजीकृत ई पंजीयन आईडी CG5124917112020001 दिनांक 17.11.2020 को क्रय किया जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता स्वयं के पक्ष में नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.11.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता डिम्पल चौहान पिता विजय चौहान निवासी मलपुरीकला तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा भूधारक/ विक्रेता प्रवीण भाई चावड़ा पिता स्व. रतिलाल व अन्य निवासी फाफाडीह तह. व जिला रायपुर के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि मौजा ग्राम चोरहा प.ह.न. 49 तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 335/2, 336 रकबा 0.223, 0.356 हे. लगान अभिलेख अनुसार की भूमि भूधारक से पंजीकृत ई पंजीयन आईडी CG5124917112020003 दिनांक 17.11.2020 को क्रय किया जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता स्वयं के पक्ष में नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.11.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता निशांत चौहान पिता दिलीप चौहान निवासी खपरी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा भूधारक/ विक्रेता प्रवीण भाई चावड़ा पिता स्व. रतिलाल व अन्य निवासी फाफाडीह तह. व जिला रायपुर के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि मौजा ग्राम चोरहा प.ह.न. 49 तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 118/1 का टु. रकबा 0.208 हे. लगान अभिलेख अनुसार की भूमि भूधारक से पंजीकृत ई पंजीयन आईडी CG5124907112020022 दिनांक 07.11.2020 को क्रय किया जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता स्वयं के पक्ष में नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.11.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता नील चौहान पिता श्री सुनील चौहान निवासी मलपुरीकला तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा भूधारक/ विक्रेता प्रवीण भाई चावड़ा पिता स्व. रतिलाल व अन्य निवासी फाफाडीह तह. व जिला रायपुर के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि मौजा ग्राम चोरहा प.ह.न. 49 तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 118/1 का टु. रकबा 0.152 हे. लगान अभिलेख अनुसार की भूमि भूधारक से पंजीकृत ई पंजीयन आईडी CG5124917112020002 दिनांक 17.11.2020 को क्रय किया जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता स्वयं के पक्ष में नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.11.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ क्रेता श्रीमती फाल्गुनी चौहान पति श्री दीप चौहान निवासी खपरी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा भूधारक/ विक्रेता प्रवीण भाई चावड़ा पिता स्व. रतिलाल व अन्य निवासी फाफाडीह तह. व जिला रायपुर के भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि मौजा ग्राम चोरहा प.ह.न. 49 तहसील धमधा जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 118/1 का टु. रकबा 0.155 हे. लगान अभिलेख अनुसार की भूमि भूधारक से पंजीकृत ई पंजीयन आईडी CG5124907112020009 दिनांक 07.11.2020 को क्रय किया जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता स्वयं के पक्ष में नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 14.11.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अमिता हरमुख पति ओंकार सिंह हरमुख निवासी ग्राम सकरौद तहसील गुण्डरदेही जिला बालोद के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 342/20 रकबा 0.018 हे. भूमि को विक्रेता हरिशचंद्र ठोके पिता उपास राव निवासी ग्राम सेक्टर 06 भिलाई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 11.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700127

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका विशाखां देवांगन पति कार्तिकराम देवांगन निवासी ग्राम गिरधारी नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1201/24 रकबा 0.005 हे. भूमि को विक्रेता द्वारिका प्रसाद महोबिया पिता गंगाराम महोबिया निवासी ग्राम स्वामी विवेकानंद नगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 01.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 12.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700160

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कुलेश्वरी पिता/ पति स्व. टोपेश्वर साहू निवासी ग्राम न्यू आदर्श नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 132/10 रकबा 0.021 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार टोपेश्वर साहू आ. प्रेमलाल साहू की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री राजेश एवं अन्य पिता स्व. समयलाल देशमुख निवासी आलबरस तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम आलबरस प.ह.न. 34 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 185, 562, 564, 1346, 1479 रकबा 0.95 हे. भूमि का प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण नया ऋण पुस्तिका मिलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 07.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 17.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री राजकुमार पाण्डेय आ. सुरेश पाण्डेय साकिन भिलाई के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1055/14 रकबा 0.024 हे. भूमि राकेश पाठक आ. उपेन्द्र नारायण पाठक से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक ...को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 07.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 25.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री ओंकार प्रसाद आ. स्व. भागवत साकिन धनोरा के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 705 रकबा 1.030 हे. भूमि रामबाई पिता/ पति स्व. भागवत से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 08.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 24.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री फूलसिंग पिता स्व. दसरु निषाद निवासी मोहलई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता दसरु के नाम पर ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 485, 494, 496, 728, 509/1, 492, 493 रकबा 0.28, 0.19, 0.32, 0.05, 0.35, 0.07, 0.07 हे. भूमि एकल खाता में दर्ज है। खातेदार दसरु की मृत्यु दिनांक 02.05.2020 को होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 14.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप)
रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा सिरसाखुर्द तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी मनीराम साहू वगै. आ. स्व. सुकालू साहू साकिन सिरसाखुर्द तहसील व जिला दुर्ग ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 09.12.2019 स्थान तहसील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्वित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण

खसरा नंबर 291, 541, 543, रकबा 0.390, 0.420, 0.250 हे.

आज दिनांक 06.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

क्र./प्र.1अति. तह./वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक मनीष देशमुख आ. बसंत देशमुख साकिन भटगांव द्वारा ग्राम भटगांव प.ह.न. रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 16/1, 16/3, 617/1 रकबा 0.540, 0.70, 0.370 हे. भू.रा. रुपए से संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री खिलेश्वर वर्मा आ. शिवकुमार वर्मा साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 442/23 रकबा 1200 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता पन्नालाल आ. जीवनलाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री किशोर कुमार वर्मा आ. दल्लूराम वर्मा साकिन कुन्दर द्वारा ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 442/23 रकबा 1200 वर्गफीट को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता पन्नालाल आ. जीवनलाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 17.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

// नाम-परिवर्तन //

सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं कुबेर सिंह आ. श्री संजय सिंह निवासी दिगम्बर जैन मंदिर अल्का टायपिंग के सामने वार्ड 32 ब्राम्हण पारा दुर्ग तह. व जिला दुर्ग छ.ग. का हूं। मेरे समस्त आवश्यक दस्तावेजों में मेरा नाम कुबेर सिंह दर्ज है जो कि मेरा सही एवं वास्तविक नाम है। मेरे नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम 3 एच.बी. मुंगेली बिलासपुर में एक पालिसी संचालित है जिसका पालिसी क्रं. 382215956 है। उक्त पालिसी के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम भूलवश कुणाल सिंह दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम कुबेर सिंह है। मैं अपने उक्त पालिसी के समस्त दस्तावेजों में अपना सही एवं वास्तविक नाम कुबेर सिंह दर्ज कराना चाहता हूं। कुबेर सिंह एवं कुणाल सिंह ये दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे स्वयं का ही नाम है मैं इन दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता हूं।

शपथकर्ता — कुबेर सिंह

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री लीला पटेल आ./पति भीखम पटेल साकिन तिलोदा के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1362/3 का टु. रकबा 1757.5 हे. भूमि शिवकुमार अन्य से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 09.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 08.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 25.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(1) वर्ष 2020-21

आवेदिका श्रीमती कुंतीबाई पति स्व. तेखन सिंह निवासी तमेरपारा दुर्ग तह. व जिला दुर्ग एवं अन्य 03 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव तिवारी द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 45 अ प्लाट नं. 24 रकबा 73 वर्गफीट भूमि धारक तेखन सिंह आ. कन्हैया क्षत्री तमेरपारा के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक तेखन सिंह की मृत्यु दिनांक 09.11.1999 को हो चुकी है। मृतक धारक के वारिसान उनकी पत्नी श्रीमती कुंतीबाई, पुत्री मोहिनी, शशि एवं पुत्र संतोष सिंह है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नही है। आवेदिका द्वारा मृतक धारक का नाम प्रश्नाधीन भूखण्ड से विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16.12.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700164

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बालमुकुंद पिता सरजूप्रसाद साहू निवासी ग्राम तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1333/41 रकबा 0.011, 0.018 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार स्व. श्मला बाई की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 16.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011100700137

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रमेश कुमार पिता स्व. भारामल निवासी ग्राम सिंधी कालोनी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1372/69 रकबा 0.018 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार गोविंदराम आ. बुलचंद की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक हकप्राप्तकर्ता श्रीमती चमेली पति श्री मोहनलाल सोनी साकिन मैथिलपारा दुर्ग के द्वारा ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 737/8 रकबा 0.020 हे. मे से 0.010 हे. भूमि हकत्यागकर्ता श्रीमती पुष्पा ध.प. श्री नरेन्द्र आ. स्व. शंकरलाल सोनी पता रिसाली भिलाई से रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 05.08.2020 को हक प्राप्त किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को हकप्राप्तकर्ता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 27.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 02.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

राज्यपाल उइके ने संविधान की प्रस्तावना का किया पठन

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। इस प्रस्तावना में कहा गया है कि 'हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व- संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा,राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मंत्रालय में बिना मास्क वाले 6 कर्मचारियों से हुई अर्थदण्ड की वसूली

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मास्क नही लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने वाले कर्मचारियों से अर्थदंड की वसूली की जा रही है। आज दूसरे दिन मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान मास्क नही लगाने वाले 6 कर्मचारियों से अर्थदंड की वसूल की गई है। इसके पूर्व 25 नवम्बर को बिना मास्क लगाए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए पाए जाने पर 9 कर्मचारियों को नियमानुसार फाइन कर राशि वसूल की गई थी और भविष्य में बिना मास्क लगाए पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई थी।

लोकवाणी : 'छग सरकार दो वर्ष का कार्यकाल' विषय पर होगी बात

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार 'छत्तीसगढ़ सरकार दो वर्ष का कार्यकाल' विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 25, 26 एवं 27 नवंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फ ोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13 वीं कड़ी का प्रसारण 13 दिसंबर को होगा।

धान खरीदी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा : मुख्यमंत्री के निर्देशों से कराया गया अवगत

मुख्यमंत्री ने कहा है धान बेचने में किसानों को न हो कोई परेशानी

रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू एवं खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, सभी कलेक्टरों, समस्त पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए निर्देशों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान बेचने में किसानों को किसी तरह की परेशानी नही होनी चाहिये।

अपर मुख्य सचिवों ने राज्य के सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों से कहा कि एक दिसम्बर से राज्य में धान खरीदी शुरू होगी। राज्य में धान खरीदी का कार्य मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहली प्राथमिकता है। धान खरीदी में राज्य के किसी भी समिति में किसानों को परेशानी नही होनी चाहिए। धान खरीदी के लिए टोकन अधिकतम एक सप्ताह के अवधि तक के लिए दिए जाएंगे। किसानों को जारी टोकन में उल्लेखित तारीख तक किसी कारणवश यदि कोई किसान धान नही बेच पाता है तो उन्हें पुनः नया टोकन जारी किया जाएगा।

धान खरीदी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में

एक दिसम्बर से धान खरीदी के लिए टोकन मिलेगा 27 नवम्बर से

टोकन की वैधता अवधि एक सप्ताह

एक दिसम्बर के बाद रकबे में नही होगा कोई परिवर्तन

खरीदी केन्द्रों में किसानों की सुविधा का रखे विशेष ध्यान

अन्य राज्यों से धान आयात को रोकने की जिम्मेदारी जिला-पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग की

राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में गतवर्ष से 2 लाख 49 हजार ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। किसानों का पंजीयन बढ़ने के साथ ही खेती के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में गिरदावरी के पश्चात प्रविष्टि का कार्य 10 नवम्बर को समाप्त हो चुका है। गिरदावरी के संबंध में किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव लंबित नही है। एक दिसम्बर से धान खरीदी शुरू होने के बाद रकबे में कोई परिवर्तन नही किया जाएगा। यदि रकबे में कोई परिवर्तन या संशोधन की जरूरत हो उसे 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। एक दिसम्बर के बाद साफ्टवेयर को लॉक कर दिया जाएगा। गिरदावरी के कार्य में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

धान खरीदी के लिए आवश्यक बारदाने की व्यवस्था खरीदी के पूर्व करने के निर्देश दिए गए हैं। पीडीएस सिस्टम एवं मिलरों से प्राप्त बारदानों का भौतिक सत्यापन करा लें और बारदाने एकत्रित कर खरीदी केन्द्रों में समय पूर्व उपलब्ध कराया जाएं। बारदानों की कमी की पूर्ति के लिए राज्य शासन द्वारा 70 हजार गठान प्लास्टिक के बारदाने खरीदी जा रही है। इस प्लास्टिक के बारदाने का उपयोग केवल धान खरीदी करके सबसे पहले सीधे मिलरों के पास भेजने के लिए किया जाएगा। प्लास्टिक बैग का उपयोग चावल रखने के लिए नही किया जाएगा।

धान बेचने वाले किसानों की संख्या के साथ रकबा बढ़ने से किसानों की सुविधा के लिए राज्य में लगभग 260 नवीन धान उपार्जन केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों में चबूतरा निर्माण सहित खरीदी केन्द्र के चारों तरफ सुरक्षा के लिए घेरा की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, बारदाना, तालपतरी, कांटा-बांट सत्यापन, मास्चर मीटर, बोर्ड लगाने का कार्य खरीदी शुरू होने से पूर्व पूरा कर ऑनलाईन रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए। राज्य के खरीदी केन्द्रों में दो चरणों में 7 हजार 620 चबूतरों का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है।

केंद्र के चार काले कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने दिया धरना-प्रदर्शन

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। संयुक्त ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में आज केंद्र के चार काले कानूनों के खिलाफ एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। ज्ञातव्य है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया है उसका देश भर में सभी ट्रेड यूनियन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार देश के मज़दूरों को अपने काले कानून के तहत अपने अमीर मित्रों का बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। इस काले कानून को लागू कर मोदी सरकार का मजदूर विरोधी काला चेहरा पूरे देश ने देख लिया। हम मजदूर निर्माण करना जानते हैं तो तानाशाही को विध्वंस करना भी अच्छे से जानते हैं। केंद्र के इस

काले कानून के विरोध को कांग्रेस पार्टी ने न केवल प्रदेशव्यापी बल्कि पूरे देश में भी अपना समर्थन दिया है। यूनियन के संरक्षक सुशील सन्नी अग्रवाल ने मोदी सरकार के अड़ियल रवैय्ये पर प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने तानाशाही रवैय्ये से बाज़ आए और मज़दूरों को उनके पूरे अधिकार का स्वामी बनाए जिसे वो अपने काले कानून से लूटना चाहती है। प्रदेश का एक-एक मजदूर इस काले कानून का विरोध तब तक करेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस अवसर पर संरक्षक सुशील सन्नी अग्रवाल समेत सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष व बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।

भूपेश सरकार के जनहितैषी कार्यों की पीएम ने की प्रशंसा : विकास

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यों की समीक्षा विस्तार से की और संतुष्ट होने के बाद भूपेश सरकार के कार्यो की भूरी भूरी प्रशंसा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना से संबंधित मुद्दे (वित्तीय सहायता, अस्पताल का ढांचा, राशन तथा रोजगार आदि), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वनिधी योजना, निर्यात के रूप में जिले का विकास तथा आपरेशनाइ एग्रीकल्चर रिफार्म के संबंध चर्चा की और भूपेश सरकार के जनहितैषी कार्यो के संपादन एवं क्रियान्वयन पर संतुष्टि जताया। श्री तिवारी ने कहा कि 15 सालों से छत्तीसगढ़ राज्य का बेड़ा गर्क करने वाले कमीशनखोर भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए प्रशंसा पर सांप सूंघ गया कोरोना महामारी के समय जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस सरकार जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन और संपादन कर रही थी तब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अजय चंद्राकर राजेश मूणत सहित तमाम भाजपा के नेता सरकार को कोसने में लगे हुए थे और जनता के बीच भ्रम फैलाने का भी काम लगातार इनके द्वारा किया जा रहा था अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यो की ना केवल प्रशंसा की बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जनहितैषी कार्यो के प्रतिपादन पर संतुष्टि जताई तो भाजपा नेताओं को सांप सूंघ गया।

जल्द शुरू होगा विधानसभा भवन और दो जल परियोजनाओं के निर्माण का कार्य

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति ने किया अनुमोदन

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग द्वारा नवा रायपुर के सेक्टर-19 में निर्मित किए जाने वाले नए विधानसभा भवन और जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के खारंग-अहिरन जलाशय परियोजना और छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने नवा रायपुर के सेक्टर-19 में निर्मित किए जाने वाले नए विधानसभा भवन के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए विधानसभा भवन के निर्माण की प्रस्तावित लागत लगभग 275 करोड़ 76 लाख 19 हजार रूपए होगी। विधानसभा भवन का निर्माण मुख्य रूप से भूतल-प्रथमतल-द्वितीय तल के रूप में किया जाएगा। भूतल में विधानसभा की कार्यवाही के लिए सदन, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के कक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के कार्यालय, नेता प्रतिपक्ष का कार्यालय, समिति बैठक कक्ष और अधिकारियों के कक्ष का निर्माण किया जाएगा। प्रथम तल में विधानसभा सदन की गैलेरी का निर्माण किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से मीडिया, पब्लिक और अति विशिष्ट जनों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रथम तल में ही 200 सीटर कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय तल में मुख्य रूप से विधानसभा की लाईब्रेरी और सेन्ट्रल हॉल का निर्माण किया जाएगा। मुख्य सचिव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नवीन विधानसभा भवन में बैठकों के लिए प्रस्तावित कक्षों का निर्माण सही तरीके से किया जाए। ताकि बैठक व्यवस्था में कोई बाधा न हो। उन्होंने सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों और उनके कार्यालयों के लिए सुव्यवस्थित बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। साथ ही महिला अधिकारियों के लिए कामन रूम का निर्माण भी करने के निर्देश दिए है। जल संसाधन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत ने विभाग की दो प्रमुख परियोजनाओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 720 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत से बिलासपुर जिले में अहिरन नदी पर खारंग अहिरन लिंक जलाशय का निर्माण किया जाना है। इसके लिए अण्डर ग्राउण्ड तरीके से पाईप के द्वारा नदियों का जल जलाशय तक लाया जाएगा। इस जलाशय में एकत्रित जल का इस्तेमाल बिलासपुर और रतनपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। साथ ही नदियों के किनारे बसे 208 गांवों की 56285 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

जगदलपुर के कोपागुड़ा में बनेगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

मुख्य सचिव ने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में एन.एम.डी.सी. परिक्षेत्र विकास निधि हेतु गठित हाईपावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बस्तर संभाग में एन.एम.डी.सी के समन्वय से किए जा रहे विकास कार्यो से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। श्री मण्डल ने बस्तर संभाग के लघु वनोपज ईमली, चिरौंजी, तिखूर, शहद, काजू आदि का गुणवत्तापूर्वक प्रसंस्करण करने और इसके माध्यम से वनवासियों के आजीविका में सुधार लाने के निर्देश भी दिए है। बैठक में वर्ष 2020-21 में बस्तर संभाग के सभी जिलों में एन.एम.डी.सी. द्वारा सामुदायिक सहभागिता मद में कराए जाने वाले नवीन कार्यो का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तहसील जगदलपुर के ग्राम कोपागुड़ा में 'सुपर स्पेशलिटी अस्पताल' का निर्माण एवं संचालन एनएमडीसी द्वारा किया जाना है। बैठक में जानकारी दी कि अस्पताल के निर्माण के हेतु ग्राम कोपागुड़ा में भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। मुख्य सड़क से अस्पताल निर्माण स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण भी कर लिया गया है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की मीटिंग में मंत्री अनिला भेंड़िया ने छत्तसीगढ़ में दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए रखे कई प्रस्ताव

जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र और राष्ट्रीय सहायक उपकरण केंद्र स्थापित करने की मांग की

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों की ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुई श्रीमती भेंड़िया

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया गुरूवार को केंद्रीय समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की ऑलाइन बैठक में राजधानी रायपुर से शामिल हुंई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के पुनर्वास और कल्याण संबंधी कई प्रस्ताव केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे। उन्होंने बोर्ड के समक्ष छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, राष्ट्रीय सहायक उपकरण केन्द्र, मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए संस्था की स्थापना और नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एवं

डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को दिव्यांगों के लिए पुनः राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किये जाने की मांग की।

बैठक में दिव्यांगों के अधिकार,पुनर्वास, स्वास्थ्य, सतत शिक्षा,वित्तीय सहायता,सुगम्य भारत अभियान के तहत भवनों को सुविधाजनक बनाने, दिव्यांगों के लिए यंत्रों और उपकरणों की उपलब्धता सहित राज्यों द्वारा किये गए विशेष प्रयासों पर चर्चा की गई। श्रीमती भेंड़िया ने बोर्ड से कहा कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिला दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के तहत राज्य से 18 प्रस्ताव केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं,जिन पर स्वीकृति दी जानी है। दिव्यांगजनों के लिए जिला स्तर पर उनके चिन्हांकन से लेकर उनकों सेवाएं प्रदान करने के लिए यह केन्द्र बहुत आवश्यक हैं। इन केन्द्रों की स्वीकृति मिल जाने पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल केन्द्र प्रारंभ कर दिये जाएंगे।

मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने बताया कि कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकारी सेवा में अब दिव्यांगजन की भागीदारी बढ़ने लगी है। पिछले वर्षो में 11 से अधिक पदों में दिव्यांगजनों की भर्ती की गई है। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में शामिल करने और उनके स्वावलंबन के लिए ऋण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम द्वारा दिव्यांगजनों को ऋण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण दिव्यांगजनों द्वारा ऋण वापिस करने में कठिनाई आ रही हैं। निगम में विगत 2 वर्षो से नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली द्वारा व्यवसाय हेतु प्रतिबंधों के फलस्वरूप दिव्यांगजनों को आर्थिक पुनर्वास हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इस हेतु नेशनल हैण्डीकैप्ड फाईनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को पर्याप्त बैंक गारंटी दी गई है। श्रीमती भेंड़िया ने अनुरोध किया कि नेशनल हैण्डीकैप्ड फाइनेंस एवं डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को राज्य के दिव्यांगजनों के लिए राशि प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि दिव्यांगजनों को उनके आर्थिक पुनर्वास से जोड़ा जा सके। श्रीमती भेंड़िया ने राज्य में राष्ट्रीय सहायक उपकरण केन्द्र की स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग की मांग की।

उन्होंने बताया कि पूर्व में इसके लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केन्द्र की स्थापना से दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता और रूचि के अनुसार उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार इस हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रही है। उन्होंने राज्य में मानसिक रोगियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय संस्था के लिए भी प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में सहायता प्राप्त होने पर राज्य सरकार भूमि की व्यवस्था करेगी।

समन्वय समिति द्वारा विद्युत अधिनियम 2020 का पुरजोर विरोध

पॉवर कंपनी मुख्यालय सहित प्रदेशभर में प्रदर्शन

नव प्रदेश संवादाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी-अभियंता समन्वय समिति के तत्वावधान में विद्युत अधिनियम 2020 में प्रस्तावित अमेंडमेंट कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय रायपुर, कोरबा ताप विद्युत गृह, मड़वा ताप विद्युत गृह इत्यादि स्थानों में प्रदर्शन किया गया। इस नये कानून का विरोध अब तक छत्तीसगढ़, पंजाब, पाण्डुचेरी,केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एवं झारखण्ड सरकार ने भी अपनी ओर से किया है। इन राज्यों के बिजली अधिकारी/कर्मचारी भी इसके विरूद्ध पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के किसान संघों ने भी विद्युत अधिनियम 2020 का घोर विरोध किया है।

राजधानी रायपुर में विद्युत कंपनी मुख्यालय डंगनिया में विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों ने विद्युत अधिनियम 2020 का विरोध करते हुए यह भी निवेदन किया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये और निजीकरण के लिए बिट डायूक्यमेंट जो जारी किया गया है उसे वापिस लिया जाये। कर्मियों द्वारा यह भी मांग रखी गई है कि जो स्थायी कार्य है उसके लिए स्थायी नियुक्ति की जाये तथा संविदा आधार पर कर्मियों की भर्ती कर जो शोषण किया जा रहा है उसे बंद किया जाये। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि केरल राज्य की तरह सभी राज्यों में एक ही बिजली कंपनी बनाई जाये तथा पॉवर कंपनी का विखण्डन न करते हुए एकीकरण किया जाये। विद्युत अधिनियम 2020 के तहत् जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाये।

संपादकीय

कश्मीर में सरकारी जमीन की बंदरबांट

यदि जम्मू-कश्मीर से 370 का खात्मा नहीं होता और वहां राज्यपाल शासन नहीं लगता तो कश्मीर में हुए 25 हजार करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का मामला सामने नहीं आता। अब चूंकि इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है तो जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती फड़फडा रहे है, अब समझ में आया कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी क्यों 370 की बहाली के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दरअसल इन दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में कश्मीर में रौशनी एक्ट के जरिए सरकारी जमीनों की जमकर बंदरबांट की गई थी। 325 करोड़ की जमीन मात्र 76 करोड़ में आबंटीत कर दी गई थी वहीं हजारों करोड़ रूपए की सरकारी जमीन पर नेताओं और नौकरशाहों ने बेजा कब्जा कर लिया था। इन हितग्राहियों की जो पहली लिस्ट सामने आई है। उसमें 868 लोगों के नाम है जिसमें नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री और विधायकों के अलावा कश्मीर के नौकरशाहों के नाम शामिल है। दरअसल 2001 में जब वहां डॉ. फारूख अब्दुल्ला की सरकार थी तब हाइब्रोपॉवर प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने के वास्ते जम्मू-कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 पारित किया गया जिसे रौशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय यह दावा किया गया कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा और पात्र लोगों को भूमि आवंटित की जाएगी जिससे किसानों को फायदा होगा और जो राशि प्राप्त होगी उससे हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। किन्तु रौशनी एक्ट से सिर्फ नेताओं और नौकरशाहों को फायदा मिला और उन लोगों ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम अपने रिश्तेदारों के नाम से आवंटित करा ली। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो आरोप लगाया है कि डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने भी 7 केनल जमीन हथिया ली है। हालांकि नेशनल कांफ्रेस इन आरोपों का खंडन कर रही है और केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह बदले की कार्यवाही के रूप में रौशनी एक्ट घोटाले को मुद्दा बना रही है। जबकि हकिकत यही है कि नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी में अपने-अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी जमीनों पर अपने समर्थकों का कब्जा करवाया और लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया। अब इस मामले की जांच शुरू होने से उनका बौखलाना स्वाभाविक है। यही वजह है कि फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने देश विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी है उन्हें जम्मू-कश्मीर के विकास से कोई मतलब नहीं है वे तो 370 की बहाली इसलिए चाहते है कि उन्होंने जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन की बंदबांट की है उसकी जांच ना हो और उस पर उनके और उनके समर्थकों का कब्जा बरकरार रहे हैं। ये घोटालेबाज नेता अच्छी तरह जानते है कि सीबीआई जांच के बाद कानून के लंबे हाथ उनके गिरेहबान तक जरूर पहुंगे और उन्हें इसकी सजा भूगतनी पड़ेगी। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में 370 लागू करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रहे हैं। गुपकर गठबंधन इसी उद्देश्य से बनाया गया है ताकि उनके पाप पर पर्दा पड़ा रहे।

फिर डराने लगे कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ें

तारकेश्वर मिश्र

बीते लगभग 8 महीनों में एक बात तो तय हो ही गयी है कि कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जो जरूरी उपाय हैं वे करना अनिवार्य है। मास्क, सैनीटाईजर का उपयोग और हाथ धोते रहने के साथ ही शारीरिक दूरी जैसा साधारण सा अनुशासन कोरोना से बचाव में सहायक हो सकता है। भारत ने जिस तरह से इस महामारी का मुकबला किया उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। टीके के विकास में भी हमारी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है लेकिन फिलहाल कोरोना पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। सरकारों के प्रयासों के बीच नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना संकट से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभायें। हम यह न भूलें कि देश की आर्थिकी संकट के दौर से गुजर रही है, कोरोना का प्रसार उसे और नुकसान पहुंचायेगा।

देश में कोरोना के नये मामले फिर से बढ़त की ओर हैं। वैसे डाक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा इस बात की आंशका पहले से ही जताई जा रही थी कि सर्दी के मौसम में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। वहीं त्यौहारी मौसम में कोरोना से बचाव के सारे कायदे-कानूनों की जमकर धज्जियां उडाई गई। जनता की घोर लापरवाही और प्रशासन की ढील का नतीजा अब सामने है। देशभर से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने की खबरें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं। हालात के मद्देनजर गुजरात और राजस्थान राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। नए संक्रमणों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या बीते डेढ़ महीने में बढ़ने से राहत अनुभव की जा रही था। लेकिन बीते एक सप्ताह में वह अंतर फिर घटता जा रहा है।

सबसे बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। बीते कुछ दिनों के भीतर देश की राजधानी दिल्ली में जो भयावह स्थिति बन गई उसके कारण केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को समय रहते पुख्ता इंतजाम नहीं करने के लिए लताड़ लगाई। दिल्ली से आ रही खबर पूरे देश में प्रसारित होने के बाद भी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक तरह से ये मान लिया कि कोरोना पूरी तरह लौट चुका है। हालांकि इस बेफिक्री के पीछे वैक्सीन को लेकर आने वाली भ्रामक जानकारियां भी बड़ा कारण बनीं। भारत सरकार सहित निजी क्षेत्र ने भी वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया उससे लगने लगा कि दिसम्बर या हद जनवरी तक भारत में कोरोना का टीका सहज रूप से मिलने लगेगा। चूंकि भारत वैक्सीन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है और विश्व के अनेक देशों द्वारा कोरोना का जो टीका खोजा गया उसके उत्पादन का काम भारतीय कम्पनियों को ही मिल रहा है इसलिए भी ये एहसास प्रबल हो गया कि जल्द ही देशवासियों को कोरोना के विरुद्ध रक्षा कवच हासिल हो जाएगा।

वहीं जमीनी हकीकत यह भी है कि लॉकडाउन हटने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आई और आवागमन भी बढ़ा। सितम्बर के आखिरी सप्ताह से लगातार जो आंकड़े आये उनमें कोरोना तेजी से ढलान पर आता दिखा। नए

संक्रमणों की संख्या में तेजी से कमी आने लगी वहीं स्वस्थ होकर घर लौटने वाले भी बढ़ते गये। इसकी वजह से भी लोगों का हौसला बढ़ा और कोरोना की वापिसी संबंधी चेतावनियों की जमकर उपेक्षा की जाने लगी। इसी दौरान बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। मप्र में 28 उपचुनाव के कारण भी कोरोना की प्रति जमकर लापरवाही नजर आई। दीपावली के साथ ही शादी सीजन की खरीदी भी इस दौरान होती दिखी। और इन सब वजहों का संयुक्त परिणाम कोरोना की दूसरी लहर के रूप में देखने मिल रहा है।

त्यौहारी सीजन के बाद शासन-प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा की त्योंही दोबारा प्रतिबंधात्मक कदम उठाने पर विचार किया जाने लगा। शुरुवात दिल्ली से हुई और धीरे-धीरे अनेक राज्यों से खबरें आने लगीं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश मे रात्रि कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरे उपाय किये जा रहे हैं। दिल्ली में विवाह आयोजनों में अतिथि संख्या घटाकर 50 कर दी गयी। अन्य राज्यों से भी इसी तरह के फैसले लिए जाने की जानकारी आ रही है। दोबारा लॉकडाउन की अटकलें भी दबी जुबान सुनाई दे रही हैं। टसल में जब यूरोपीय देशों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी तो हमें ?भी सतर्क हो जाना चाहिए था। दरअसल, लंबे समय से लॉकडाउन में उकताये लोगों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही अतिसक्रियता और लापरवाही बढ़ा दी, जिसके चलते संक्रमण को पांव पसारने का मौका मिल गया। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के एक-तिहाई मामले सामने आये हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर संक्रमण से बचाव व उपचार के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कवायद तेज की है। यदि दूसरे राज्यों से डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है तो संकट की स्थिति का अहसास किया जा सकता है। दिल्ली के निजी अस्पतालों के 80 फीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिये आरक्षित करने का कदम भी राहतकारी कहा जा सकता है। मोबाइल जांच सुविधा में इजाफा किया जा रहा है। ?

समाचारों के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को विवाह और अन्य कार्यों में 250 से 50 की संख्या में रिश्तेदारों की उपस्थिति का आदेश पारित नहीं करने के लिए फटकार लगाई क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। वैसे दिल्ली में मरने वालों की स्थिति नियंत्रण में थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि हालत नियंत्रण से बाहर हो गई। यह केजरीवाल सरकार की ही लापरवाही है जिस कारण उच्च न्यायालय को यह कदम उठाना पड़ा।

सरकार को लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन कोरोना पर ढिलाई दिखा कर केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोरोना कोई साधारण बीमारी नही है, इसने पूरे विश्व की रफ्तार रोक दी है और विश्व की तथाकथित महाशक्तियों को भी झुका दिया है। इसलिए इसके प्रति कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए हर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लोगों को भी जागरूक करना सरकार का कर्त्तव्य है।

एक ओर कोरोना मरीजों के आंकड़ें बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर सैकड़ों और बाजारों में हजारों की संख्या ऐसे लोगों की नजर आ जायेगी जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। दरअसल ऐसे गैर जिम्मेदार लोग ही कोरोना की वापिसी की असली वजह हैं। शासन-प्रशासन अपने स्तर पर जो भी कर रहे हैं वह अपनी जगह है और उसमें आलोचना की जबर्दस्त गुंजाइश भी है किन्तु बेहतर होगा हर नागरिक स्वयं तो कोरोना संबंधी सावधानियां रखे ही लगे हाथ बल्कि अपने सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस हेतु प्रेरित, प्रोत्साहित और जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षित भी करे।

(उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र पत्रकार।)

विचार

अध्यादेश अच्छा लेकिन....?

उत्तरप्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया है। उस अध्यादेश में लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यह अच्छी बात है, क्योंकि लव और जिहाद, ये दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं। जहां लव होगा, वहां जिहाद हो ही नहीं सकता। लव के आगे सारे जिहाद ठंडे पड़ जाते हैं। लव जिहाद का हिंदी रुप होगा-'प्रेमयुद्ध'। जहां प्रेम होगा, वहां युद्ध नहीं हो सकता और जहां युद्ध होगा, वहां प्रेम कैसे होगा ? लव जिहाद में न लव होता है और न ही जिहाद होता है। उसमें धोखाधड़ी होती है, तिकड़म होती है, दुष्कर्म होता है, बल-प्रयोग होता है और गंदी राजनीति होती है। इसे रोकना तो हर सरकार का कर्तव्य है। इस उद्देश्य से बने हर कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। उ.प्र. के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म-परिवर्तन याने हिंदू लड़कियों को जबर्दस्ती मुसलमान बनाने के लगभग 100 ऐसे मामले सामने आए हैं। यदि ऐसे मामलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है तो इसका अवश्य स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन छल-छिद्र से धर्म-परिवर्तन करने के खिलाफ तो पहले से ही कठोर कानून बने हुए हैं और कई राज्यों ने इन्हें पूरी दृढ़ता के साथ लागू भी किया है। उ.प्र. सरकार के इस अध्यादेश में एक नई और अच्छी बात यह है कि सामूहिक धर्म-परिवर्तन करनेवाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगेगा और उसकी सजा भी कठोर है लेकिन सरकार यह कैसे सिद्ध करेगी कि फलां धर्म-परिवर्तन शादी के लिए ही किया गया है ? अगर धर्म-परिवर्तन के लिए शादी का बहाना बनाया गया है तो ऐसी शादी कितने दिन चलेगी ? और शादी के खातिर यदि कोई हिंदू या मुसलमान बनना चाहेगा तो कानून उसे कैसे रोकेगा ? जो हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करेगी, वह दो माह पहले इसकी सूचना पुलिस को देगी लेकिन किसी हिंदू लड़के से शादी करनेवाली मुसलमान लड़की को भी यह सूचना देनी होगी। सूचना देने भर से शादी कैसे रुकेगी ? 'हिंदू मेरिज एक्ट' और 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के मुताबिक ऐसी शादी अवैध होती है लेकिन 'स्पेश्यल मेरिज एक्ट' यह अनुमति देता है कि शादी करनेवाले वर और वधू अपने-अपने धर्म को बदले बिना भी शादी कर सकते हैं।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

ओली की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा

श्याम सुंदर भाटिया

इससे पूर्व प्रचंड ने सचिवालय में मीटिंग बुलाई जाने की मांग की थी, जिसे ओली ने ठुकरा दिया था। साथ ही धमकी भी दी थी, यदि उनकी अनुमति के बगैर पार्टी की बैठक बुलाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रचंड गुट को सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल का समर्थन हासिल है। सीपीएन में स्थाई समिति के सदस्य मत्रिका यादव बताते हैं, बैठक में ओली ने यह कहते हुए आने से मना कर दिया था, कमेटी उनके खिलाफ फैसला ले लेगी। नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन की ओर से खुलेआम हस्तक्षेप और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पार्टी के सह अध्यक्ष प्रचंड के बीच लगातार बैठकों का नतीजा सिफर ही रहा है। एक बार फिर नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी उस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां कुछ महीने पहले खड़ी थी।

नेपाल में सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-सीपीएन बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड में जबर्दस्त टकराव है। हालात यह हैं, सत्ताधारी दल-सीपीएन फूट की कगार पर है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच मुख्य विवाद एक व्यक्ति-एक पद नियम को लेकर है। प्रचंड कहते हैं, इसे लागू करो, लेकिन ओली हैं कि मानते ही नहीं। ओली प्रधानमंत्री पद के संग-संग सीपीएन के अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। कहने का अभिप्राय यह है, तराजू के दोनों पलड़ों पर ओली का एकाधिकार है। दोनों दिग्गज और उनके समर्थक कतई झुकने को तैयार नहीं हैं। तक़रीबन नौ माह में इन सियासी दिग्गजों के बीच समझौता-संवाद के 10 दौर हो चुके हैं, लेकिन अब सुलह की नाउम्मीदी साफ-साफ दिखाई दे रही है। आंतरिक कलह इतनी बढ़ गई है, सीपीएन कभी भी टूट सकती है। ऐसे में ओली सरकार की विदाई तय-सी है। हालाँकि ड्रैगन की प्लानिंग किसी भी कीमत पर ओली की सरकार बचाने की है। प्रचंड और दल के सीनियर लीडर-माधव कुमार नेपाल ओली से इस्तीफा मांग चुके हैं। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सीपीएन को दो तिहाई बहुमत प्राप्त है। मौजूदा वक्त में यह सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री ओली की राष्ट्रपति विद्या भंडारी और चीनी राजदूत होउ यांकी की ओली से मुलाकातों का दौर जारी है। दरअसल ओली प्रचंड के एक पत्र से उखड़े हुए हैं, जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ओली चाहते थे, केंद्रीय सचिवालय की बैठक से पहले प्रचंड पत्र को वापस ले लें, लकिन प्रचंड टस से मस न हुए। सचिवालय की मीटिंग करने को अडिग रहे। प्रचंड राजदूतों और मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी ओली से खासे नाराज हैं। प्रचंड खेमा यह भी मानता है, कर्नाली प्रांत के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी ओली खेमे का हाथ है। यह बात दीगर है, सीपीएन में दूसरी पांत के लीडर्स ओली और प्रचंड के बीच रात-दिन एक किए हुए हैं। अंततः प्रधानमंत्री ओली ने बगावती नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है, वे सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। सीपीएन के केंद्रीय सचिवालय की बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण बैठक यानी 18 नवम्बर को हुई।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके प्रतिद्वंद्वी प्रचंड की भेंट के बाद पार्टी में उभरे मतभेद के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण रही। सीपीएन के अध्यक्ष ओली और सचिवालय के दीगर सदस्यों ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड की पहल पर प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर बैठक में शिरकत की। प्रधानमंत्री ओली किसी ना किसी कारण से अब तक इस बैठक से बच रहे थे। हालाँकि केंद्रीय सचिवालय की बहुप्रतीक्षित इस महत्वपूर्ण बैठक में गतिरोध दूर नहीं हो सका। पार्टी से विचार-विमर्श किए बिना सरकार चलाने के प्रचंड के आरोपों के जवाब में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अलग राजनीतिक दस्तावेज पेश करने के लिए 10 दिन का समय देने की मांग की। प्रधानमंत्री ओली के बालुवातार स्थित आधिकारिक निवास पर जैसे ही बैठक शुरू हुई ओली ने सचिवालय के सदस्यों से कहा, वह अगली बैठक में अलग राजनीतिक दस्तावेश पेश करेंगे। इसे तैयार करने के लिए 10 दिनों का वक्त माँगा, इसीलिए सचिवालय की अगली बैठक अब 28 नवंबर को होगी। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रचंड की ओर से दिए गए 19 पन्नों की राजनीतिक रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना थी। सत्तारुढ़ दल के सूत्रों के मुताबिक प्रचंड ने ओली पर पार्टी से विचार-विमर्श किए बिना और पार्टी के नियम-कायदे के विपरीत सरकार चलाने का आरोप लगाया था। ओली ने मौजूदा सत्ता संघर्ष के समाधान के लिए केंद्रीय सचिवालय के सभी नौ सदस्य इस अहम बैठक में मौजूद थे। बैठक में प्रचंड ने अपनी राजनीतिक रिपोर्ट में कई मुद्दे उठाए हैं। इसमें भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल के साथ ओली की हालिया मुलाकात के संबंध में पार्टी सचिवालय को अवगत नहीं कराने का भी मामला है। 21 अक्टूबर को गोयल और ओली की मुलाकात के बाद पार्टी में उभरे विवाद समेत कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गतिरोध चल रहा है। दूसरी ओर 18 नवंबर की सुबह ओली काठमांडू में शीतलनिवास में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मिलने गए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चीनी राजदूत होउ यांकी ओली से मिलने प्रधानमंत्री आवास गयी थीं और पार्टी के भीतर मतभेद की पृष्ठभूमि में उनसे राजनीतिक विचार-विमर्श किया। ओली और प्रचंड ने सत्ता को लेकर समझौते पर सहमत होने के बाद सितंबर में अपने मतभेद दूर किए थे, जिससे पार्टी में महीनों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया था।

सच्चाई यह है, ओली और प्रचंड एक दूसरे की बैठकों का परोक्ष रुप से बहिष्कार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली ने कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के नाते नवंबर के पहले सप्ताह में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सीपीएन की कार्यवाहक अध्यक्ष प्रचंड ने बैठक में जाना जरुरी नहीं समझा। प्रचंड ने अपनी ओर से एक अनौपचारिक बैठक बुलाई है। हालाँकि इसे ओली पर दबाव बनाने के लिए सांकेतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

विश्वास शब्द ही विश् से बना है जिसमें

विश्वास शब्द ही विश् से बना है जिसमें विश् का वास है उसे ही विश्वास कहते हैं किसी पर विश्वास करना विष पीने के समान ही है बच गए तो ठीक है वरना मरना ही है यही सोचकर किसी पर विश्वास करना चाहिए।

पावनी दीक्षित जानिब

हर सुबह ज़िंदगी को इयर फोन की

हर सुबह ज़िंदगी को इयर फोन की तरह सुलझा कर पहन लेती हूं कभी कम उलझी मिलती है कभी ज़्यादा पर आखिरकार पहन कर निकल ही लेती हूं नये सफर पर नये दिन की तलाश में, नये लोगों की तलाश में, नये विचारों की तलाश में। ऐ ज़िंदगी गले लगा ले।

आभा चंद्रा

खास पाती

इश्क़ दोनो का मुक़म्मल

इश्क़ दोनो का मुक़म्मल कर दे! हो जा पागल,मुझे पागल कर दे! ख़्वाब में भेज दे ख़ुशबू अपनी, मेरी आंखों को तू संदल कर दे! दिल के दरिया में कोई कंकड़ फेंक, और उस पानी में हलचल कर दे! अपने ग़म की समेट कर स्याही, मेरी आँखों का तू काजल कर दे! ख़ुद को तू रंग ले मेरे जैसा, अपने जैसा मुझे श्यामल कर दे! ये जो बदले की सियासत है 'कमल' सारी दुनिया को न मक़तल कर दे! **रूबी झा 'कमल'**

फिर आ गया न कविताओं

फिर आ गया न कविताओं का मौसम याद का दुशाला ओढ़े.. फिर सिंकने लगे हैं शब्द स्मृति की अंगीठी में। फिर खिलने लगे हैं अहसासों के गुलाबी फूल सपनों की शाखाओं पर, फिर लरजने लगे हैं लताओं के होंठ फिर गिरने लगी ओस फिर ढलने लगे तुम मुझमें फिर। **आशा पांडे ओझा**

उदासी यूँ दिल की मिटाने चले हम

उदासी यूँ दिल की मिटाने चले हम नई राह खुद को दिखाने चले हम सताते रहे रूठकर अब तलक जो ख़ता भूल उनकी मनाने चले हम छुपाकर रखे थे कई राज़ दिल में सभी राज़ उनको बताने चले हम जो वादे पुराने भुला ही दिए थे उन्हें याद फिर से दिलाने चले हम कभी भूल से ख़्वाब में आओ मिलने यही सोच खुद को सुलाने चले हम लिखे थे जो नग़में गए भूल सारे उन्हें आज फिर गुनगुनाने चले हम ख़ता गर हुई मांग लेंगे मुआफी अनाओं को अपनी जलाने चले हम।

सुरेश पंसारी

हर मुश्किल से हँसते हँसते

हर मुश्किल से हँसते हँसते, निकल रहे हैं। एक रस्ते? से कई रस्ते, निकल रहे हैं। जहाँ अकेला छोड़ दिया था, तुमनें मुझको, उसी जगह से हर दिन दस्ते, निकल रहे हैं। **कवि अंकित चहल विशेष**

मन चंचल सब जानते, पर नहीं पाते रोक

मन चंचल सब जानते, पर नहीं पाते रोक! सही हुआ तो उछल रहे, बिगड़े करते शोक!! खींच रहें है पैर सब, क्यों ऐसा व्यवहार! अपना हाथ बढाइये, मिलती शांति अपार!! चमक सूर्य में स्वयम ही, शंका में जलते व्यर्थ! कर परिश्रम तुल्य बन, दे स्व को सच्चा अर्थ!! अब तो खैर मनाइए, धरम करम अनमोल! वाणी लगती धार सी, तोल मोल के बोल!! विनती है गिरीश की, साथ रहो या दूर! बैर भाव को रख परे, हों जग में मशहूर!!

गजेन्द्र द्विवेदी गिरीश

चले भी आओ मुहूरत निकल न जाए

चले भी आओ मुहूरत निकल न जाए कहीं। मुहब्बतों का ये मौसम बदल न जाये कहीं। तमाम मैक़दों की मय भरी इन आँखों मे, नज़र बचा रहा हूँ दिल मचल न जाए कहीं। तपिश में इश्क़ की सुलगी ये जल रहीं साँसे बदन ये मोम सा नाजुक पिघल न जाये कहीं। पड़ोगे बीच मे इल्ज़ाम कुछ भी लग सकते, हवन से हाथ बचाना ये जल न जाए कहीं। हरेक शख़्स को यूँ दर्द मत सुनाया कर, ज़माना ठीक नहीं कोई छल न जाये कहीं। जो काम बाक़ी हैं निपटा ले वक़्त रहते प्रखर, जवानी शम्स सी है साँझ ढल न जाये कहीं।

राजेश श्रीवास्तव प्रखर

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ़ का 'एक सरवर' किसे कहा जाता है?

2) छत्तीसगढ़ी बोली में पहली बार किस वर्ष में फिल्म बनाया गयी थी? (1940 / 1963 / 1948)

3) रायपुर में हिन्दी में केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ कब हुआ था?

4) सरगुजा जिले के किस आदिवासी वर्ग के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है? (भैना / उरांव)

5) छत्तीसगढ़ में कैथोलिक चर्च शिल्प का अनुपम उदाहरण जो कि एशिया के सबसे विशाल गिरजाघरों में एक माना जाता है, कहाँ स्थित है? (कुनकुरी / कांसाबेल)

Ramaquiz

उत्तरमाला-(1) एक बार अरुी वर्षा को (2) 1963 (3) 1907 (4) उरांव (5) कुनकुरी

आज का इतिहास

नयी दिल्ली (वार्ता)। भारत और विश्व के इतिहास में 27 नवंबर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं..

1795-पहले बांग्ला नाटक का मंचन हुआ। 1807- पुर्तगाल के शाही परिवार ने नेपोलियन की सेना के भय से लिस्बन छोड़ा। 1817-जर्मनी के विख्यात इतिहासकार और अध्यनकर्ता थियोडर मोमसेन का जन्म। 1870- पहली बार फोटोग्राफर लैडिसलॉस वीनेक ने प्राग में गिरते उल्कापिंडों का चित्र लिया। 1895-अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1907- प्रसिद्ध कवि एवं लेखक हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्म। 1912- अल्बानिया ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 1932- पोलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ ने अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1940-आधुनिक मार्शल आर्ट के प्रणेता एवं अभिनेता ब्रूस ली का जन्म। 1941- जर्मनी और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टैंक युद्ध जर्मनी की पराजय के बाद बंद हुआ। 1953- अमेरिका के विख्यात ड्रामा लेखक यूजीन ओ नील का 65 वर्ष की आयु में निधन। 1971- सोवियत रूस का 'मार्स ऑर्बिटर' मंगल ग्रह पर उतारा गया। 1975- गिनीज़ बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के सह-संस्थापक रॉस मैक्रिर्टर की गोली मारकर हत्या। 1984- भारत में ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त पर्सी नॉरिस की मुंबई में गोली मारकर हत्या। 1999-हेलेन क्लार्क न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। 2011-प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार सुल्तान खान का निधन।

मलयालम फिल्म 'हेलेन' के रीमेक में काम करेंगी जाह्नवी!

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर मलयालम फिल्म 'हेलेन' के रीमेक में काम करती नजर आ सकती है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की पुत्री जाह्नवी कपूर ने वर्ष 2018 में प्रदर्शित फिल्म 'धड़क' से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब वह लगातार एक के बाद एक अपने नए प्रोजेक्ट्स साइन कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जाह्नवी ने मलयालम फिल्म 'हेलेन' का हिन्दी रीमेक साइन किया है।

बताया जा रहा है कि जाह्नवी फिल्म के ज्यादा हिस्सों की शूटिंग लखनऊ और उत्तर प्रदेश की कई अन्य लोकेशन्स में करेंगी। फिल्म की शूटिंग अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दी जाएगी। जबकि शूटिंग से पहले की अन्य तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी ओरिजिनल फिल्म 'हेलेन' के निर्देशक माथुकुट्टी जेवियर ही करने वाले हैं। जबकि बोनी कपूर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। 'हेलेन' की कहानी एक युवा नर्स के इर्द-गिर्द घूमती है। जो कनाडा में रीलोकेट होना चाहती है। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अजीब स्थिति पैदा होने लगती है। एक दिन वह काम से घर ही नहीं लौट पाती और जैसे कहीं गायब हो जाती है। जाह्नवी कपूर ,करण जौहर की 'तख्त' और 'दोस्ताना 2' में नजर आने वाली हैं। इन दोनों फिल्मों के साथ-साथ वह हॉरर कॉमेडी 'रूही-अफ्जा' में भी नजर आयेंगी।

गाजियाबादी भाषा सीख रही है कियारा आडवाणी

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी अपनी आने वाली फिल्म 'इंदु की जवानी' के लिये गाजियाबादी भाषा सीख रही है। कियारा आडवाणी फिल्म 'इंदु की जवानी' के लिए काफी कुछ नया सीख रही हैं। वह इस फिल्म में अपने किरदार को रियल दिखाने के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। कियारा अपने किरदार को लेकर गाजियाबाद की आम बोलचाल वाली भाषा सीख रही हैं।

कियारा ने बताया, ÷अबीर को पता है कि इंदु कैसे चलती, बोलती है। साथ ही उन्होंने फिल्म के लिए अच्छे डायलॉग भी लिखे हुए हैं, जिससे फिल्म में और भी जान आ जाएगी। हमने शूटिंग के पहले करीब दो महीनों तक एक साथ समय बिताया, ताकि मैं अपने किरदार इंदु के बारे में अच्छी तरह जान सकूं। कियारा की फिल्म के गाने का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर वीडियो में कियार ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। कियारा ने इस टीजरो को इस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया है। उन्होंने लिखा, ÷'नमस्कार जी, मैं किआरा यानी इंदू गुप्ता. अब क्या बताऊं, नाचते नाचते सहीलेंटूट गयी. टीजर सामने आ चुका है। गाना 27 नवंबर को रिलीज होने वाला है..जुड़े रहिए।

अजय देवगन ने शुरू की 'भुज द प्राइड ऑफ इंडिया' की शूटिंग

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के सिंघम स्टार अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफइंडिया की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के साथ कई फिल्मों की शूटिंग रूक गई थी। अनलॉक के साथ सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार फिर से फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई। अजय देवगन भी अपनी अधूरी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए लौट आए हैं। अजय देवगन करीब आठ माह बाद अपनी अधूरी फिल्म भुज द प्राइड ऑफइंडिया की शूटिंग पर लौट आए हैं। इस फिल्म की शूटिंग उन्होंने हैदराबाद में शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग तो अजय देवगन ने पहले ही खत्म कर दी थी। लेकिन अब कुछ ही दिन का काम और शेष बचा है। जिसे अजय जल्दी पूरा करने का मन बना चुके हैं और उन्होंने भुज द प्राइड ऑफइंडिया की शूटिंग हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में शुरू कर दी है। इस फिल्म में अजय देवगन भारतीय वायु सेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का किरदार निभाएंगे।

वनडे के टेस्ट के लिए उतरेगी टीम इंडिया

सिडनी (वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम कोरोना के अभूतपूर्व संकट के समय में अपनी पहली द्विपक्षीय सीरीज खेलने उतरेगी और उसका पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से सिडनी मैदान में शुक्रवार को होगा।

भारत ने 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती थी, लेकिन इस बार हालात पूरी तरह अलग हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। यह सीरीज आईसीसी की वनडे वर्ल्डकप सुपर लीग का हिस्सा है जिसमें हर मैच जीतने पर अंक मिलेंगे। इस सुपर लीग के तहत भारत की यह पहली वनडे सीरीज है। भारत को 2023 में 50 ओवर के विश्वकप की मेजबानी करनी है। इस लीग के आधार पर विश्वकप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों का फैसला होना है।

भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी इस महीने 10 नवंबर को यूएई में समाप्त हुए आईपीएल का हिस्सा था और टीम के सभी खिलाड़ी दुबई से सीधे सिडनी पहुंचे थे। यहां टीम 14 दिन क्वारेंटीन में रहने के बाद कोरोना में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए तैयार हो चुकी है। दूसरी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईपीएल से पहले इंग्लैंड में तीन-तीन टी-20 और वनडे मैचों की सीरीज खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया के सुपर लीग में तीन मैचों से 20 अंक हैं जबकि भारत को अभी अपना खाता खोलना है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने वनडे सीरीज के लिए एक सही संयोजन चुनना बड़ी चुनौती है।

सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा को उनकी हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वनडे और टी-20 सीरीज से आराम दिया गया है। उनकी अनुपस्थिति में शिखर धवन के जोड़ीदार के रुप में लोकेश राहुल ओपनिंग में उतर सकते हैं। राहुल ने आईपीएल 13 में किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए थे।

राहुल इस साल के शुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की वनडे सीरीज में मध्यक्रम में उतरे थे और उन्होंने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की थी। लेकिन रोहित के बाहर होने के कारण उन्हें ओपनिंग में मौका दिया जा सकता है जिससे भारत सीरीज के पहले ही मुकाबले में अच्छी शुरुआत करे। खुद राहुल ने कहा है कि वह टीम की जरूरत के अनुसार किसी भी स्थान पर खेलने के लिए तैयार हैं।

टीम में ओपनिंग के दावेदार के रुप में मयंक अग्रवाल और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन भी शामिल हैं। राहुल और सैमसन दोनों ही विकेटकीपर हैं लेकिन विकेटकीपर के रुप में टीम की पहली पसंद राहुल ही हैं।

कप्तान विराट तीसरे नंबर पर खेलने उतरेंगे। विराट इस सीरीज में 12000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उनके खाते में 248 मैचों में 11867 रन हैं। विराट के ऊपर टीम की बल्लेबाजी का दारोमदार रहेगा। रोहित के बाहर होने से सीमित प्रारुप में विराट की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

अपनी कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के फाइनल तक ले जाने वाले श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पर रहेंगे। मनीष पांडे और शुभमन गिल में से कोई बल्लेबाज पांचवें नंबर पर खेलने उतरेगा।

आकाशवाणी पर होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज का सीधा प्रसारण

नई दिल्ली (वार्ता)। *भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन-वनडे, तीन टी-20 तथा चार टेस्ट मैचों की सीरीज का सीधा प्रसारण आकाशवाणी पर किया जाएगा। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 27 नवम्बर को सिडनी में पहले वनडे से हो रही है। कोरोना काल के दौरान भारत की यह पहली द्विपक्षीय सीरीज है। दोनों टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को सिडनी में खेला जाना है। गुरूवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों का प्रसारण आकाशवाणी के एफएम रेनबो नेटवर्क, 66 मीडियम वेव प्राइमेरी चैनल, 86 एफएम स्थानीय रेडियो स्टेशन और डीआरएम चैनल पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रसार भारती स्पोर्ट्स यू-ट्यूब चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। 17 दिसम्बर से शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो नेटवर्क, डीआरएम चैनल, 13 अतिरिक्त एफएम रिले ट्रांसमिटर्स और प्रसार भारती स्पोर्ट्स यू-ट्यूब चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा।*

हिमालया ने किया 'हेयर फॉल नहीं अब सिर्फ जिंदगी मेरी मुट्ठी में' अभियान लॉन्च

नई दिल्ली ए.। देश के अग्रणी वैलनेस ब्रांड्स में से एक, हिमालया ड्रग कंपनी ने हैल्दी हेयर का वादा मुहिम के तहत ''हेयर फॉल नहीं, अब सिर्फ जिंदगी मेरी मुट्ठी में'' अभियान के साथ हिमालया एंटी-हेयर फॉल शैंपू के लिए एक नई फिल्म का अनावरण किया। इस लेटेस्ट अभियान में हेयर केयर की श्रेणी में ग्राहकों की आम समस्या, हेयर फॉल पर रोशनी डाली गई है। प्राकृतिक अवयवों से युक्त समाधानों की ओर ग्राहकों के झुकाव को संबोधित करते हुए इस अभियान में हेयर फॉल के एक भरोसेमंद समाधान के रूप में हिमालया एंटी-हेयर फॉल शैंपू के अद्वितीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म वर्तमान परिदृश्य में स्थापित है और इस बात पर रोशनी डालती है कि आज की महिलाएं किस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल कर रही हैं, फिर चाहे वह एकेडेमिक्स हो या फिर उनकी रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की लगन। आज हर चीज उनके नियंत्रण में है, लेकिन हेयर फॉल अभी भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमि.
संपत्ति बिक्री केंद्र, द्वितीय तल, चावला चैंबर्स,
न्यू बस स्टैंड के सामने, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर 492004

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग कंपाउंड, पांडूरंग बुधकर मार्ग वर्ली मुंबई-400025

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, जिसमें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम के नियम 8 (6) से जुड़ी शर्तों का भाव निहित है, के तहत अचल व चल संपत्ति की बिक्री हेतु ब्रिकी नोटिस।

इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को व कर्जदारों और गारंटरों को खास तौर पर सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार की ओर गिरवी/प्रभारित रखी गई नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति, जिसको सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिकात्मक तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है, को जैसी है, जहां है, जैसी है जो है और जो कुछ भी है के आधार पर **14.12.2020** को बेचा जाएगा, ताकि **10,59,359/-रूपए** के कर्ज की वसूली की जा सके (यह राशि 29/11/2016 की स्थिति में बैंक को देय है। साथ में कर्ज वसूली की वास्तविक तारीख तक इसके ऊपर लगने वाला ब्याज, खर्च, व अन्य शुल्क)। उक्त राशि श्री विजय कुमार सोनी पिता सुन्दरलाल सोनी एवं श्री ललित आर. सोनी पिता विजय कुमार सोनी की ओर से बैंक को देय है। संपत्ति का आरक्षित मूल्यः **8,68,005/-** रुपए है व अग्रिम जमा राशि **88,601/-** रुपए होगी।

खाता संख्या	बेचने के लिए रखी गई अचल संपत्ति व उपयोग में नहीं रही मशीनरी (जो कुछ उचित हो)/ अधिपत्य में ली गई संरक्षित संपत्ति का पता / ब्योरा	संपत्ति पर किसी अन्य पक्ष का दावा
लोन नंबर PHR013901114944	साम्यिक बंधक परिवर्तित भूमि पर आवासीय मकान का सभी टुकड़े और पार्सल जिसमें शामिल फ्लैट नं. 305, ब्लाक-02, द्वितीय तल कुल क्षेत्रफल 584.22 वर्गफीट, ग्रीन अर्थ सिटी में स्थित बिल्डिंग का नाम ''आर्चिड'', अमलेश्वर/सांकरा के ग्राम पंचायत सीमा अंतर्गत रायपुर-पाटन रोड, तहसील पाटन, उप रजिस्ट्रार एवं जिला-दुर्ग (छ.ग.)-491001 जिसके मालिक श्री विजय कुमार सोनी पिता सुंदरलाल सोनी, उम्र 65 वर्ष है। **जमीन की सीमाएं- उत्तर से-** मार्ग, **दक्षिण से-** फ्लैट नं. 304 **पूर्व से-** फ्लैट नं. 306 , **पश्चिम से-** मार्ग	बैंक को जानकारी नहीं

बिक्री संबंधी नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट- https://www.axisbank.com/auction-notices पर उपलब्ध लिंक का अवलोकन करें।

दिनांक : 27.11.2020
स्थानः रायपुर

(प्राधिकृत अधिकारी)
एक्सिस बैंक लिमिटेड

AXIS BANK

एक्सिस बैंक लिमि.
संपत्ति बिक्री केंद्र, द्वितीय तल, चावला चैंबर्स,
न्यू बस स्टैंड के सामने, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर 492004

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

नियंत्रण कार्यालयः एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग कंपाउंड, पांडूरंग बुधकर मार्ग वर्ली मुंबई-400025

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, जिसमें प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम के नियम 8 (6) से जुड़ी शर्तों का भाव निहित है, के तहत अचल व चल संपत्ति की बिक्री हेतु ब्रिकी नोटिस।

इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को व कर्जदारों और गारंटरों को खास तौर पर सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार की ओर गिरवी/प्रभारित रखी गई नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति, जिसको सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिकात्मक तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है, को जैसी है, जहां है, जैसी है जो है और जो कुछ भी है के आधार पर **14.12.2020** को बेचा जाएगा, ताकि **31,70,863/-रूपए** के कर्ज की वसूली की जा सके (यह राशि 28/07/2016 की स्थिति में बैंक को देय है। साथ में कर्ज वसूली की वास्तविक तारीख तक इसके ऊपर लगने वाला ब्याज, खर्च, व अन्य शुल्क)। उक्त राशि श्री अशोक कुमार वर्मा पिता हेमूराम वर्मा एवं श्रीमती रामकली वर्मा पति अशोक कुमार वर्मा की ओर से बैंक को देय है। संपत्ति का आरक्षित मूल्यः **15,05,790/-** रुपए है व अग्रिम जमा राशि **1,50,579/-** रुपए होगी।

खाता संख्या	बेचने के लिए रखी गई अचल संपत्ति व उपयोग में नहीं रही मशीनरी (जो कुछ उचित हो)/ अधिपत्य में ली गई संरक्षित संपत्ति का पता / ब्योरा	संपत्ति पर किसी अन्य पक्ष का दावा
लोन नंबर PCR013900614443	दुकान/कार्यालय इकाई के सभी टुकड़े और पार्सल यूनिट नं. 4 व 5 "RIO" नामक एक बहु मंजिला काम्प्लेक्स के प्रथम तल में स्थित जिसके खसरा नं. 325/1 एवं 326/1 कुल क्षेत्रफल 572 वर्गफीट में स्थित है। जिसका शीर्षक एवं बिक्री विलेख संख्या 4681 दिनांक 6.11.2012 है। जो श्री अशोक कुमार वर्मा पिता हेमूराम वर्मा उम्र 49 वर्ष के नाम पर है। मौजा एवं ग्राम देवपुरी, पटवारी सर्कल नं. 114/52 आरआईसी-रायपुर पुलिस स्टेशन, टिकरापारा, उपरजिस्ट्रार, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़ 492001 **जमीन की सीमाएं- उत्तर से-** मार्ग, **दक्षिण से-** खुला आसमान **पूर्व से-**कार्यालय/दुकान यूनिट क्रमांक 6 , **पश्चिम से-** कार्यालय/ दुकान यूनिट क्रमांक 2 व 3।	बैंक को जानकारी नहीं

बिक्री संबंधी नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट- https://www.axisbank.com/auction-notices पर उपलब्ध लिंक का अवलोकन करें।

दिनांक : 27.11.2020, स्थानः रायपुर **(प्राधिकृत अधिकारी), एक्सिस बैंक लिमिटेड**

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

क्रमांक/1173/रा.वि./न.पा./2020
बलौदाबाजार, 04.11.2020

भवन/भूमि दावा आपत्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बलौदाबाजार नगरीय सीमा क्षेत्र के वार्ड क्र. 10 स्थित भवन/भूमि भूखण्ड क्र. खसरा नं. 2805/9 रकबा 0.010 हेक्टेयर है जो कि नगर पालिका परिषद के मांग पंजी में श्रीमती सावित्री पति श्री रामलाल कुर्रे के नाम से दर्ज है। जिसका श्री तारण दास रात्रे पिता श्री लखनलाल रात्रे द्वारा विक्रय विलेख अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नामांतरण हेतु आवेदक मय दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 150 अंतर्गत नगर पालिका मांग पंजी में स्वामित्व के रूप में नामांतरण हेतु संबंधित प्रकाशन दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित आपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्संबंध में अध्यक्ष/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विचार विमर्श किया जा सकता है। प्रकाशन के समयावधि पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदक श्री तारण दास रात्रे पिता श्री लखनलाल रात्रे के नाम से दर्ज किया जावेगा। सूचनार्थ प्रकाशन किया जाता है।

सील
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

आनलाईन नं. 202010100400274

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री डेलचन्द उरकुडे आ. बुधराम उरकुडे निवासी बोरसी द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम बोरसी प.ह.नं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 247/33 रकबा 0.022 हे. अर्थात 2400 वर्गफुट भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 केत हत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता केमाध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 24/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (छ.ग. शासन का एक उपक्रम) CIN-U40108CT2003SGC015820 कार्या.-उप महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर क्वार्टर नं. सी./8-11 (प्रथम तल) डंगनिया, रायपुर-492013
ई-मेल पता -dgmhr.csptclraipur@cseb.gov.in टेलीफैक्स नंबर-0771-2574299 टेलीफोन नं. 0771-2574297/98

क्र. 02-14/CE(HR)/T-24/Outsourcing/2161 रायपुर, दिनांक 26/11/2020

// निविदा सूचना //

कार्यालय का नाम :- मुख्य अभियंता (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस. कं.लि.मि., रायपुर के कार्यालयीन उपयोग हेतु आऊटसोर्सिंग के माध्यम से 03 पद कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 03 पद भृत्य दो वर्षों हेतु प्रदाय करने बाबत्। अनुमानित लागत राशि :- 20,18,376/- निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन जमा करने एवं निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की अंतिम तिथि :- 09.12.2020 समय- 5.00 बजे।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- 10.12.2020, समय- 3.00 बजे।
निविदा खुलने की तिथि :- 10.12.2020, समय -3.30 बजे।
उपरोक्त कार्यों की निविदाओं की विस्तृत जानकारी निविदा तिथि में वृद्धि/संशोधन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट **"www.cspc.co.in"** का अवलोकन करें।

संवाद-27088/3
मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

स्वहित एवं राष्ट्रहित में विद्युत की बचत कीजिए

कार्यालय, नगर पालिक निगम जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 119/2020-2021
वार्ड का नाम- श. मनमोहन सिंग बक्शी-23

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श. मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 23/ नया रामनगर कोटा जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती अरविंद कुमार पिता किरण कुमार त्रेहन के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती चन्द्रेश पटेल पिता भुखऊ राम पटेल ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 169/2020-21
वार्ड का नाम- बाबू जगजीवनराम-53

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाबू जगजीवनराम-53 वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 4425 गोतम विहार एमआईजी-10 जो कि निगम अभिलेख में श्री राजेश नानवानी s/o श्री इंदरलाल नानवानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती वर्षा कोसरिया w/o बालगोविन्द कोसरिया ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला रायपुर छ.ग.

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2019-20
ग्राम आरंग, प.ह.नं. 54

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विषयांतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद आरंग जिला रायपुर का पत्र क्र./254/न.पं./लो.नि.वि. 2020-21 आरंग दिनांक 15.05.2020 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम आरंग प.ह.नं. 54 तहसील आरंग जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 4189/1 रकबा 16.9770 हे. शासकीय भूमि को नगर पालिका परिषद आरंग क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विकास कार्य मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ए.एच.पी. आवास भवन निर्माण, पौनी पसारी योजनांतर्गत बाजार निर्माण सामाजिक भवन निर्माण आदि कार्यों हेतु शासकीय दर पर नगर पालिका परिषद आरंग जिला रायपुर को आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 16.12.2020 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
आरंग, रायपुर छ.ग.

Chhattisgarh State Infromation Infrastructure Corporation Limited (CSIICL) State Date Center (SDC) Building Civil Line, Raipur, Chhattisgarh 492001
Phone : 0771-4014158, Fax: 0771-4014158, E-mail : ceochips@gov.in

TENDER NOTICE

No.693/MD/CSIICL/MPLS/2020 Raipur, deated 26/11/2020

Chhattisgarh State Infromation Infrastructure Corporation Limited (CSIICL) invited online proposal for- "Empanelment of Bandwidth Service Provider for Installation and Commissioning of IP-MPLS/P2P/ILL Link". The information cum tender documents can be downloaded from website http://eproc.cgstate.gov.in. Last date of bid submission is 23/12/2020, 5.00 PM.

S.-27086/1 **MD, CSIICL**

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र.-5, रायपुर

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

क्र. 579/जोन क्र. 5/लो.क.वि./2020, रायपुर, दिनांक 26/11/2020

एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नांकित कार्यों हेतु सीलबंद निविदाएं एस.ओ.आर. दर के आधार पर दो लिफाफा पद्धति में **दिनांक 16.12.2020** तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से नगर पालिक निगम जोन कार्यालय क्रमांक 5 में कार्यालयीन दिवस में दोपहर 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए **दिनांक 04.12.2020** को अपरान्ह 03.00 बजे तक आवेदन के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र की राशि जमा करने के पश्चात प्राप्त किए जा सकेंगे। दिनांक **10.12.2020** तक निविदा प्रपत्र जारी होंगे। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 16.12.2020** को सायं 04.30 बजे खोली जावेगी।

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	अमानत राशि (रुपए)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रभावशील एस.ओ.आर. एवं आयटम दर	कार्य की अवधि
1	महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड क्र. 43 अंतर्गत कृपाराम प्रोविजन स्टोर्स के पास, महामाया मंदिर के पास, अशोक दानी के घर के पास एवं अन्य स्थानों पर नाली, पुलिया निर्माण कार्य।	10.00	7500/-	300/-	S.O.R. (P.W.D.) Dt. 01.01.2015	03 माह
2	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्र. 68 अंतर्गत महादेवा तालाब में लगे लाइटों की समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु केबल तार खींचने का कार्य।	3.39	3400/-	750/-	S.O.R. (P.W.D.) Dt. 01.01.2015	02 माह
3	ठाकुर प्यारेलाल वार्ड क्र. 40 अंतर्गत आर.डी. तिवारी स्कूल के पास जी.ई.रोड में शौचालय निर्माण कार्य।	3.83	3900/-	750/-	S.O.R. (P.W.D.) Dt. 01.01.2015	02 माह
4	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 लीग हेतु विभिन्न स्थानों में टू-डी पेंटिंग का कार्य।	1.00	2000/-	300/-	S.O.R. (P.W.D.) Dt. 01.01.2015	01 माह

निविदा की शर्तें :-

1) निविदा के दस्तावेद बंद लिफाफा में रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जाएगा। 2) ई पंजीयन प्रमाण पत्र (जीवित), 3) जीवित बैंक साल्वेंसी। 4) आई.टी./सी.टी. एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 100 रुपए का स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 5) त्रि लिफाफा पद्धति में निविदा प्राप्त नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। 6) किसी एक कार्य के लिए पृथक-पृथक लिफाफा में निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा।

टीप- कार्य से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन दिवस में नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 5 से प्राप्त की जा सकती है।

पेयजल, सड़कबत्ती, सफाई समस्या निराकरण संपर्क निदान-1100

कार्यपालन अभियंता
जोन क्रं.-5
नगर पालिक निगम, रायपुर

अब तक जांच समिति ने नहीं दिया अभिमत, नहीं हो पा रही कार्यवाही!

■ गंडई नगर पंचायत के फर्जी डीजल बिल का मामला

गंडई पंडरिया। नगर पंचायत गंडई मे अभी तक फर्जी डीजल बिल मामले का निराकरन नहीं हो पा रहा है जांच समिति द्वारा अब तक उच्च अधिकारी को अपना अभिमत नहीं दिया गया है इसके चलते दोषी कर्मचारियो के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही जब जांच समिति ने मामले की जांच की है तो आखिरकार इनके द्वारा जांच रिपोर्ट पर अभिमत नहीं दिया जाना समझ से परे है इससे साफ जाहीर होता है की लेनदेन करके मामले को रफादफा करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऊलेखनीय है की नगर पंचायत गंडई मे भृत्य दयालु साहू व इंजीनियर रूपेश राठीया के द्वारा फायर ब्रिगेड पर फर्जी डीजल बिल लगाकर राशि आहरण का मामला

सामने आया था इस पर दोषी कर्मचारियो ए खिलाफ जांच समिति द्वारा मामले की जांच की गई थी लेकिन बताया जाता है की जांच समिति द्वारा जांच मे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है जबकि पूरा मामला साफतौर पर पूर्णतः स्पष्ट है वही दूसरी ओर आज पर्यत इनके द्वारा जांच रिपोर्ट पर अभिमत भी नहीं दिया जा रहा है इसके चलते कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर को नहीं भेजी जा रही है।

बिल मे हुये थे मृत सीएमओ के हस्ताक्षर

नगर पंचायत गंडई में कर्मचारियों की मनमानी और कमोजरी तो लगातार सामने आते रहे है। मगर इस बार एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसको लेकर कोई सोच भी नही सकता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत गंडई में फायर ब्रिगेड गाड़ी का एक ऐसा बिल बनाया गया है जिसमे गाड़ी में डीजल ही नही डला है और पहले ही बिल तैयार कर लिया गया है।

अधिकारी के देहांत के दो महीने बाद उनका दस्खत वाला बिल सामने आना जांच का विषय :- जानकारी के अनुसार पूर्व में नगर पंचायत गंडई में पदस्त सीएमओ खुमान सिंह कश्यप का अचानक हृदय घात से विगत 26/06/20 को अचानक निधन हो गया था 18/08/20 को दो महीने बीत जाने के बाद सील साईन वाला डीजल पर्ची सोशल मीडिया में लीक हुवा है जिसके बाद इस पूरे मानले पर फर्जी तरिके से बिल बना कर गबन करने की आशंका जाहिर किया जा रहा है।

> मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी इनके द्वारा मामले की जांच की गई लेकिन जांच मे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और समिति द्वारा जांच रिपोर्ट पर कोई अभिमत भी नहीं दी जा रही है इसके कारण प्रतिवेदन कलेक्टर को नहीं भेजी जा रही है अभिमत मिलने पर ही कार्यवाही के लिए प्रक्रिया आगे बधाई जाएगी।
>
> **लवकेश ध्रुव,** एसडीएम गंडई

किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बने डॉ सौरभ निर्वाणी

बेमेतरा। युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ सौरभ निर्वाणी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्ति प्रदान की हैं। इस अवसर पर असंगठित मजदूर कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पांडेय, राजनादगांव के पूर्व युंका जिला अध्यक्ष मेहुल मारू, नितिन तिवारी, बजरंगी यादव उपस्थित थे। डॉ सौरभ निर्वाणी ने अपनी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे, विधायक आशीष छाबड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंशी पटेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बेमेतरा जिले सहित पूरे प्रदेश के किसानों के लिए संघर्षरत रहेंगे, संगठन में जो भी जिम्मेदारी दी गयी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए संगठन को मजबूत बनाने काम करते रहूँगा, उनकी नियुक्ति से ग्रामीण अंचल के युवाओ और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह व्याप्त हैं। श्रीनिर्वाणी इससे पहले अविभाजित दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय स्तर पर इंटुक के सचिव का दायित्व भी सम्हाल चुके है, इनकी माता प्रभा निर्वाणी बेमेतरा नगर पालिका की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं तथा इनकी धर्मपत्नी प्रज्ञा निर्वाणी वर्तमान में जिला पंचायत बेमेतरा की सदस्य हैं।

दीपावली मिलन कार्यक्रम कलेक्टर के गरिमामय उपस्थिति में हुआ संपन्न

कवर्धा(नवप्रदेश)। सियान जतन कलेक्ट्रेट परिसर में सीनियर समिति द्वारा दिनांक 24 नवंबर मंगलवार को आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि रमेश कुमार शर्मा के सियान जतन पहुंचने पर लोगों ने करतल ध्वनि से हर्ष के साथ उनका स्वागत एवं अभिवादन किया। कार्यत्रक्रम का प्रारंभ भारत माता , महात्मा गांधी एवं माता लक्ष्मी सरस्वती एवं रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान संरक्षक प्रेमचंद श्री श्री माल, अध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता एवं पूर्व अध्यक्ष डीके श्रीवास्तव द्वारा पुष्पाहार से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों की ओर से सबसे वरिष्ठ सदस्य 92 वर्षीय एच ,के दास द्वारा संरक्षक प्रेमचंद श्री श्री माल का पुष्पा हार द्वारा सम्मान किया गया। संरक्षक प्रेमचंद श्री श्री माल ने कार्यक्रम में कलेक्टर साहब के आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें दीपावली की बधाई दी एवं सियान जतन में विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया।

देव उठनी एकादशी का पर्व 2 दिन मनाया गया

भाटापारा। नगर में देवउठनी एकादशी का महापर्व दो दिनो याने कि 25 नवम्बर एवं 26 नवंबर को बडे धूमधाम से मनाया गया । घर-घर दीपक जलाकर पूजा की गई। बुधवार व गुरूवार को देवउठनी एकादशी पर्व पर महिलाओं ने उपवास रखकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की व गोवर्धनजी को हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल पुष्कर भिजवाया गया। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है उसी गोवर्धन पूजा की सामग्री, रेत, गोबर आदि सामग्री को देवउठनी एकादशी पर पुष्कर भेजा गया। महिलाओं ने दिनभर उपवास रखकर व घर घर के आगे दीपक जला कर पूजा अर्चना कर भोजन ग्रहण किया। इस दिन गांव गांव के मंदिर मंदिर में तुलसी विवाह

का आयोजन किया जाता है किंतु कोरोना काल के कारण व कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए इस बार चहल-पहल कुछ खास नजर नहीं आई।

ऋतुफलो को जमकर हुई बिक्री

दो दिवस देवउठनी एकादशी पर्व होने के कारण लोगों में संसेह की स्थिति निर्मित हुई जिसके कारण कुछ लोगो ने 25 नवंबर तो कुछ लोगो ने 26 नवम्बर को यह उत्सव मनाया जिसके तहत गन्ने व्यवसायी कर्ता को दो दिनों तक गन्ने का व्यवसाय किया जहां अच्छी खासी बिक्री हुई । इसके अलावा इस उत्सव के पूजा कार्य मे लगने वाले ऋतु फलो का भी अच्छी खासी विक्रय हुआ ।

राजभाषा पाठ्यक्रम में शामिल हो : अजय अमृतांशु

भाटापारा। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जिला समन्वयक अजय अमृतांशु ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ी भाषा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने की माँग की है। विदित हो कि सन 2007 में ही छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है,परंतु 13 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत आज भी छत्तीसगढ़ी भाषा पाठ्यक्रम में एक विषय के रुप में शामिल नहीं है। फिलहाल कम से कम प्राथमिक स्तर की कक्षाओं (पहली से पांचवीं तक) में छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। इससे लोक साहित्य को भी बढ़ावा मिलेगा। अजय अमृतांशु ने अपने पत्र में यह भी माँग किया है कि छत्तीसगढ़ी व्यवहारिक रूप में राज-काज की भाषा बने, ताकि मंत्रालय, विधानसभा सहित अन्य सभी शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालयों में छत्तीसगढ़ी में काम काज हो सके। छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद से ही यहाँ के साहित्यकारों सहित राज्य की जनता माँग करते आ रही है,लेकिन आज पर्यन्त छत्तीसगढ़ी व्यवहारिक रूप में राज काज की भाषा नही बन पाई है।

गौरी गौरा का पर्व धूमधाम से मना

भाटापारा । देवउठनी एकादशी के दिन गुरूवार को गौरा गौरी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। तीन दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में परंपरानुसार गौरा चौरा में भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा-अर्चना की गई। गौरा-गौरी के विवाह की रस्में निभाई गई। पर्व के अंतिम दिन देव प्रतिमा के साथ नगर भ्रमण किया गया और कल्याण सागर तालाब में प्रतिमाएं विसर्जित कर दी गई। गौरा-गौरी का पर्व दिवाली के बाद देवउठनी एकादशी को भी मनाया गया। नयापारा के डबरापारा वार्ड, सुभाषबाजार नयागंजवार्ड, गांधीमंदिर वार्ड ,मातादेवालय वार्ड रामसागरपारा, संतमाताकंवर वार्ड ,लालबहादूरशास्त्री वार्ड ,रविदासवार्ड ,नेहरूवार्ड , आदि अनेक स्थानों में पर्व का उत्साह रहा। पूजा स्थल में (गौरा) भगवान शंकर व पार्वती (गौरी) के साथ नंदी, भीमसेन की प्रतिमाएं बनाई गई। रात में भगवान शंकर व पार्वती का विवाह कराया गया।

मुख्यमंत्री की मंशा, गॉव के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुँचे: गुरप्रीत बामरा

भाटापारा। प्रदेश के सभी व्यक्तियो को साफ और अच्छा राशन समय पर मिले,ऐसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उनका विभाग लगातार कार्य कर रहा है और किसी भी प्रकार की समस्या के लिये हमने एक एप्प बनाया है जिसमे कोई भी कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उक्त बाते छत्तीसगढ़ खादय निगम के चेयरमैन गुरप्रीत बामरा ने कांग्रेस नेता सतीश अग्रवाक के निवास पर पत्रकारो से चर्चा करते हुए कही।

खादय विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बामरा ने बताया की राशन को लेकर आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोई भी हितग्राही उनके विभाग के एप्प को डाउन कर अपनी समस्या या शिकायत उसमे

दर्ज करा सकता है, अगर किसी को एप्प डाउन करने में कोई समस्या आये तो वेबसाइड पर जाकर अपनी शिकायत को बताया जा सकता है। राशन की गड़बड़ी ना हो राशन की सही मात्रा मिले और हितग्राहियो से सेल्समेन के।द्वारा अतिरिक्त रूपये की मांग ना हो ऐसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप खादय मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में विभाग लगातार अच्छा कार्य कर रहा है जिसका परिणाम मोबाईल एप्प दिख रहा है। उन्होंने कहा की हमारे मुख्य मंत्री की मंशा के अनुरूप समाज के प्रत्येक वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक राशन को पहुचाने विभाग लगातार कार्य कर रहा है।

खादय विभाग के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह बामरा ने बताया की इस बार 90 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य के साथ 1 दिसम्बर से पुरे प्रदेश में धान खरीदी चालू हो रही है जिसकी सम्पूर्ण तयारी अंतिम चरणों में है। क्षेत्र में 4 धान खरीदी केंद्र सहित पुरे प्रदेश में 264 नये केन्द्रो की स्वीकृति विभाग ने दी है। श्री बामरा ने भाटापारा के कोनी, केशला,गोढ़ी टी और फरहदा में धान खरीदी केंद्र के स्वीकृति के लिए इसका पूरा श्रेय निगम आयोग के सदस्य सतीश अग्रवाल को देते हुए कहा की इनकी सक्रियता के कारण ही ये संभव हो पाया है। इसके पूर्व श्री बामरा ने गोढ़ी टी में नये धान खरीदी केंद्र का भूमिपूजन भी किया।कांग्रेस नेता सतीश अग्रवाल के निवास में आयोजित प्रेस वार्ता में शरद हरी खरे, अनिल अग्रवाल,अमरजीत सलूजा,संतोष दाऊ,विमल मानिकपुरी,मुकेश हेवार,जित्तू शर्मा,प्रमोद अग्रवाल सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्त्ता व् नेतागण उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

तबाही का निवार...

कि चक्रवाती तूफान निवार की चपेट में आने से राज्य में तीन लोगों की जान चली गई और अन्य तीन घायल हो गए।

तमिलनाडु में 101..

गयीं। तूफान के कारण 380 पेड़ों के उखड़ने के मामले सामने आये और सभी पेड़ों को हटा दिया गया है।

संविधान की रक्षा के लिए...

किया। वेबिनार का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और पालक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नई पीढ़ी के मन में अपने संविधान के प्रति आस्था और गौरव का भाव जगाने के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के वाचन और संविधान के महत्वपूर्ण अंशों पर चर्चा की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित समस्त संविधान निर्माताओं की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारे महान नेताओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे मनिषियों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारा देश अपने संविधान पर चलेगा। हमारा संविधान हम सब भारतीय मिलकर बनाएंगे।

मामला गंभीर, मौत की जांच...

बयान पर तल्ख अंदाज में सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। श्री बघेल ने कहा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी कस्टोडियल डैथ हुई हैं। ऐसी मौतों को रमन सिंह सरकार ने छुपाने का बखूबी काम किया है। लेकिन, प्रदेश की कांग्रेस सरकार छुपाएगी नहीं, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी और जांच में जो सत्यता पाई जाएगी वह सार्वजनिक भी होगी। उन्हों ने कहा परिवार के साथ उनकी संवेदना है।

इधर पुलिस हिरासत में जूनियर इंजीनियर की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में चौकी प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही नए चौकी प्रभारी की पोस्टिंग भी की गई है। बता दें कि मंगलवार को जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिसके बाद पूनम के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है। दरअसल, सोमवार की सुबह ग्राम करवां विद्युत सब स्टेशन परिसर में सड़क पर एक युवक की नग्न अवस्था में लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सब स्टेशन के जेई पूनम कतलम को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था। लेकिन देर रात पूनम की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान पूनम की मौत हो गई। वहीं, दूसरी ओर पूनम के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में चौकी प्रभारी एएसआई सुनील सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है।

कृषि कानूनों के खिलाफ...

कई अवरोधक लगाएं हैं। हरियाणा दिल्ली की सिंधु सीमा पर दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकने के लिए रेत से भरे ट्रकों को तैनात किया है। पुलिस के मुताबिक, कोई बॉर्डर सील नहीं है लेकिन राजधानी में घुसने वाली हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। इसकी वजह से बॉर्डर के पास भारी जाम लग गया है।

बीजापुर: नक्सलियों के खिलाफ...

रहे। बैठक बाद के विजय कुमार एवं समस्त अधिकारी जिले के स्ट्राकिंग फोर्स डीआरजी के जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया।

मुठभेड़ में एक लाख...

की शिनाख्त जन मिलिशिया सदस्य संतोष पोड़ियम के रूप में हुई। जिस पर छत्तीसगढ़ शासन की इनाम नीति के तहत एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। मारा गया नक्सली थाना कुटरू में पदस्थ सउनि कोरसा नागैया एवं रेंजर रथराम पटेल की हत्या में शामिल था। वह थाना कुटरू एवं जांगला के कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल था।

डीएलएड प्रथम वर्ष...

परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र संबंधित स्कूलों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा प्रवेशपत्र मंडल की वेबसाइड में भी अपलोड किया गया है, छात्र यहां से भी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

एम्स में कोरोना से...

दी है। पुलिस मृतक के परिजन का इंतजार कर रही है। बॉथरूम का दरवाजा परिजन के सामने ही खोला जाएगा। ऐसा कहा जता है कि कोविड की कुछ दवाओं से मरीज की सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से भी उसमें निगेटिविटी बढती है। हालांकि एम्स के कोविड इंचार्ज डॉ. अजय के बेहरा के मुताबिक यह अध्ययन का विषय है। इस मामले में देखना होगा कि मरीज ने कौन-कौन सी दवाएं ली थीं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400426

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रीता शर्मा पति श्री संजय शर्मा निवासी आमदी नगर हुडको द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 609/4 रकबा 0.0602 हें/ 6486 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400396

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जानकी छती पति जगदीश छती निवासी रायपुर नाका दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 89/27 रकबा 0.034 हें/ 3560 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400027

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सीताराम साहू आ. शत्रुहन लाल निवासी मानस चौक धमतरी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 605/21 रकबा 0.010 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400438

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री महेश कुमार आ. रिखीराम निवासी रिसाली सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 729/9 रकबा 0.02 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400215

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अजीत मोहन सोनी आ. दामोदर प्रसाद सोनी निवासी केलाबाड़ी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम कसारीडीह प.ह.न. 25 अ तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 628/2 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400440

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री किशनलाल साहू आ. गनपत लाल साहू निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 733/2 रकबा 0.014 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400211

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री नीलकमल कुल्हारा आ. इन्द्रकुमार कुल्हारा निवासी बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 363/11 रकबा 0.011 हें/ 1225 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400423

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री संतोष वर्मा आ. स्व. शांतिलाल वर्मा निवासी बोहारडीह गुरुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिकोला प.ह.न. 17/8 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 45/60 रकबा 0.019 हें/ 2040 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400028

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिनेश कुमार सुमन आ. रामदीन राम निवासी 10/ बी-24 सेक्टर 02 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 341/80 रकबा 0.016 हें/ 1750 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400425

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री धनुष लाल आ. खेदूसाव निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 610/1 रकबा 0.090 हें/ 9583 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

कमार जनजाति ग्राम बेहराडीह में बह रही है बदलाव की बयार

नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी मॉडल के सफल क्रियान्वयन से खुले समृद्धि के द्वार, गांव में आजीविका गतिविधि और रोजगार के अवसर बढ़े

जीवन. एस.साहू

गरियाबंद (नवप्रदेश)। आदिवासी विकासखण्ड मैनपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बोईरगांव के आश्रित ग्राम बेहराडीह में बदलाव की बयार बह रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बाहुल्य इस ग्राम की आबादी मात्र 374 है। सालभर पहले इस ग्राम में पूरा परिवार जंगल और रोजी मजदूरी पर ही आश्रित था। कंदमूल, हर्रा, बेहड़ा, महुआ इकठ्ठा करना इनकी प्रमुख गतिविधियां थी। पड़त जमीन पर किसी साल मक्का का बीज बो दिए, तो किसी साल पड़त ही रह जाती थी। यहां के लोगों और जनप्रतिधियों द्वारा गांव को इस स्थिति से उबारने के प्रयास भी किये गये, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा काम-काज सम्हालते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजना नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी प्रारंभ की गई। इस योजना को आधार मानकर जिला प्रशासन ने भी विकास के ऐसे एकीकृत और समन्वित मॉडल अपनाया कि आज गांव में हरियाली, समृद्धि और स्वावलंबन साफदिखाई दे रहा है।

विकास के लिए नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना कारगरः ग्राम बेहराडीह के समन्वित विकास के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय लंगेह एवं जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ श्री नरसिंह ध्रुव ने इस गांव की तस्वीर बदलने की योजना बनाई। घर-घर सर्वे किया गया, लोगों को समझाईश दी गई और बैठके ली गई। उपलब्ध संसाधन, लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकास की रूपरेखा तैयार की गई। सबसे पहले प्रत्येक परिवारों को आयजनित गतिविधियों से जोडने, भूमि का सुधार करने, जल स्त्रोत बढ़ाने और वृक्षारोपरण को प्राथमिकता दी गई। इन कार्यो के लिए कृषि, उद्यानिकी, मनरेगा, मछलीपालन, पशुपालन, बिहान आदि विभागों से अभिसरण के माध्यम से तालाब, डबरी, कुआं निर्माण, वृक्षारोपण, बाड़ी विकास, मशरूम, लाख, मक्का, उड़द, मछली पालन जैसे कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृति पश्चात सामान्तर रूप से कार्य प्रारंभ किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार भ्रमण, निगरानी तथा मार्गदर्शन से विकास की नींव रखी गई। एक साल के भीतर ही गांव की तस्वीर और लोगों की जिंदगी में बदलाव नजर आने लगे।

जंगल से भी आमदनी सुनिश्चित हुईः योजना के लागू होने से पहली बार समूह द्वारा 20 कुसुम पौधों का चयन कर लाख उत्पादन हेतु पहल किया गया है। जिसमें 110 कि.ग्रा लाख बीज 20 पौधों में लगाया गया है। जिससे आगामी 03 माह में एक लाख दस हजार रूपये विक्रय कर आमदनी प्राप्त होने की संभावना है। आगामी वर्ष 2021-22 में शेष 60 कुसुम पौधों में लाख बीज का विस्तार कर उत्पादन बढाये जाने की कार्ययोजना बनाई गई है।

जिला पंचायत सीईओ श्री लंगेह ने बताया कि ग्राम बेहराडीह में निवासरत् विशेष पिछडी कमार जनजाति के लोगो के जीवन मे बदलाव लाने नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी सार्थक सिद्ध हो रहा है। इस योजना की अवधारणा से ग्राम विकास की एक अद्वितीय मॉडल उभरकर सामने आया है। ग्राम पंचायत बेहराडीह के सरपंच श्री सहदेव साण्डे, उपसरपंच श्रीमती पीला बाई एवं स्थानीय लोगों ने बेहराडीह में आए बदलाव के लिए शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

जल संरक्षण, भूमिसुधार, आयजनित गतिविधि से स्वालम्बन की राह

गांव में हरियाली को बढ़ावा देने मनरेगा अंतर्गत चैहद्दी एवं सड़कों के किनारे लगभग 1600 फलदार पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें आम, कटहल, जामुन, सीताफल, अमरूद, नारियल, नीम, आंवला जैसे फलदार पौधे शामिल है। गांव के लगभग 55 एकड अनुपयोगी जमीन को भूमिसुधार कर खेती योग्य बनाया गया, जल स्त्रोतों को बढ़ाने ग्राम में कुल 17 कूप एवं 2-2 तालाब एवं डबरी निर्माण किया गया। इनमें 6 कूप खनन पूर्ण हो चुका है, इसका उपयोग हितग्राहियों द्वारा बाडी विकास एवं द्विफसलीय उत्पादन में सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है। तालाब में स्वसहायता समूहों एवं किसान द्वारा 40 किलोग्राम मछली बीज डाला गया है। जिसमें सही देख-रेख करने पर न्यूनतम 100 क्विंटल मछली उत्पादन से लगभग 12 लाख रूपये आय प्राप्त होने की संभावना है। तालाब के मेड़ो को भी वृक्षारोपण एवं सब्जी उत्पादन के लिए उपयोग किया गया। भूमि समतीकरण के माध्यम से निर्मित 35 एकड़ खेत के मेड़ में लौकी, कुमड़ा, दोडका, तोरई, भिन्डी, बरबटी, कोचई, जिमी कंद, रखिया एवं हल्दी फसलों का रोपण किया गया। गांव की शांति एवं तुलसी स्व.सहायता समूह द्वारा उत्पादन उपरांत सब्जी का विक्रय किया जा रहा है, जिसमें लगभग 45 हजार रूपये मुनाफा कमा चुकी है, अभी 35 हजार रूपये अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होने की उम्मीद है।

गौठानों और खेती से आय का स्त्रोत बढ़ा

ग्राम बेहराडीह में मनरेगा अंतर्गत गौठान निर्माण कराया गया है, जिसमें 04 वर्मी टैंक में वर्मी खाद निर्माण महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। साथ ही 04 हितग्राहियों को पशुशेड दिया गया है, जिसका उपयोग पशुओ को रखने के लिए किया जा रहा है। गौठान में खरीदे गये गोबर से वर्मी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसमें अभी तक 1 क्विंटल 10 कि.ग्रा वर्मी तैयार कर लिया गया है। ग्राम में कृषि विभाग द्वारा भूमिसुधार किये गये भूमि में हितग्राहियों को 5.44 क्विंटल मक्का बीज वितरण किया गया है, जिसमें 1 हजार 20 क्विंटल मक्का का उत्पादन किया गया है। वहीं 10 एकड़ में उडद की खेती हेतु 80 किलो उडद हितग्राहियों को वितरण किया गया है, और लगभग 10 क्विंटल उडद का उत्पादन किया गया है।

न्यूज गैलरी

संसदीय सचिव गुरुदयाल ने किया 34 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण

नवागढ़। ग्राम पंचायत खेड़ा व बेवरा में 34 लाख की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण संसदीय सचिव व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने किया। इस अवसर पर श्री बंजारे ने कहा कि काँग्रेस सरकार किसानों की सरकार है। विकास के लिए पैसों की कमी नही होगी। सभी ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के साथ मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यो के लिए कार्य किया जा रहा है। 15 साल से जो विकास कार्य रुका व पिछड़ा था उसे गति देने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। कोरोना महामारी के इस दौर में भी सरकार आम लोगो के साथ है। इस दौरान बंजारे ने ग्राम पंचायत बेवरा में 3 लाख के रंग मंच एवं सभी ग्रामवासियों के मांग पर अतिशीघ्र हाईस्कूल खोलने की सहमति प्रदान की। कार्यक्रम को सुरेंद्र तिवारी,ईश्वर लोधी, सुशील साहू, ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य रनबन सिंह, राजकुमार यादव, देवेंद्र साहू, लखन कुर्रे, रामबिहारी वर्मा, माधो सिंह, खेड़ा सरपंच संतोषी वर्मा, बेवरा सरपंच नंदनी घृतलहरे सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।

मतदाता विशेष अभियान के तहत लगा शिविर

नवागढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं निरसन कराने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2021) दिनांक 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक चलाये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त के सम्बंध में नगर पंचायत नवागढ़ द्वारा वार्ड क्र 01 से वार्ड 15 तक मुनादी के माध्यम से आम नागरिकों तक जागरूकता लाया जा रहा है, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 06 शासकीय कन्या प्राथमिक शाला बिचपारा नवागढ़ में विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं निरसन कराने के लिए मतदान केंद्र अभिहित अधिकारियों के द्वारा आवेदन स्वीकार कर रहें है।

बेमेतरा पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

बेमेतरा। दिनांक 24.11.2020 को प्रार्थीया ने थाना बेमेतरा में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 24.11.2020 को एक व्यक्ति के साथ मोटर सायकल में पीछे बैठकर वापस जा रही थी कि पिकरी मेन रोड के पास पहुची थी कि उसी समय अचानक आरोपी मोटर सायकल से आकर मो. सा. को रोककर आरोपी ने कहने लगा कि तुम इसके साथ कहां घुम रही हो कहते हुए मां बहन की गंदी-गंदी गालिया देकर प्रार्थीया को बेईज्जत करने की नियत से प्रार्थीया के गाल को छुकर छेडखानी कर दाहिने गाल को एक झापड मार देने कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा 354 घ, 354, 323, 294, 341 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा एवं थाना स्टाफ को आरोपी का पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिस पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं थाना स्टाफद्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी पतासाजी विवेचना के दौरान आज दिनांक 25.11.2020 को जिला बलौदाबाजार थाना सिमगा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले आरोपी भोला मानस (भोई) पिता जनकलाल मानस उम्र 27 साल को पकडा गया। आरोपी को आज दिनांक 25.11.2020 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया।

पद का धौंस दिखाते हुए सरपंच ने बेवजह सचिव की शिकायत की, सचिव के स्थानांतरण पर बिफरे पंच

■ सचिव को वापस लाने की मांग को लेकर सौंपा पत्र

डौंडी। डौंडी ब्लाक के ग्राम पटेली सरपंच के खिलाफ अब वही के सरपंच उतर चुके हैं। पंचों का आरोप है कि सरपंच उनकी बिना जानकारी के वहां पदस्थ सचिव खुम्मन लाल ध्रुवे की शिकायत जिला स्तर पर करते हुए उनका स्थानांतरण करवा दिया। जबकि सचिव का कोई दोष नहीं था। बहरहाल पंचायत के सभी पंच मंगलवार को चौंडी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम पत्र सौंपकर सचिव को वापस पंचायत में लाने की मांग की।

पंचों ने पत्र के माध्यम से कहा कि ग्राम पंचायत पटेली में पदस्थ सचिव खुम्मन लाल ध्रुवे के क्रियाकलापों से ग्राम पंचायत संतुष्ट है परंतु सरपंच राधा रावटे द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधना के कारण सचिव को अपने हिसाब से कार्य करवाने में विवश किया जाता है। सचिव एक शासकीय कर्मचारी है और उसे सरपंच व्यक्तिगत कार्य करने के लिए मजबूर करती है और सचिव द्वारा मना ही करने पर हटाने की कार्यवाही की गई जोकि सभी पंचों को स्वीकार नहीं है। सचिव के कार्य से सभी पंच संतुष्ट है बिना कारण सचिव को ग्राम पंचायत पटेली से हटाना न्याय संगत नहीं है। इन तमाम बातों को पत्र मैं जिक्र करते हुए सभी पंचों ने सचिव को ग्राम पटेली में यथावत रखने की मांग की। जनपद पंचायत डौंडी पहुचते ही सभी पंचों ने जनपद सीईओ से सामुहिक चर्चा करना चाहा लेकिन सीईओ की गैरमौजूदगी में लेखपाल को पत्र सौंपा। जिसके बाद लेखपाल ने आश्वस्त किया कि उनकी मांग पूरी होगी। वहीं पंचों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती और सचिव को यथावत नहीं किया जाएगा तो वह जिला स्तर तक जाएंगे। इस अवसर पर मिलोतीन बाई, ललती बाई, दुर्गा बाई, राधा बाई, जनक बाई, बाबूलाल सिहारे, रामेश्वर सिंह, ललिता, महेंद्र भुआर्य, यशोदा सलामे, अंकलहीन, सुमियाबाई सहित तमाम पंच मौजूद थे।

एक दिसम्बर से होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों के तैयारियों का जायजा लिया

कवर्धा(नवप्रदेश)। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए आगामी एक दिसम्बर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरूआत हो रही है। इस वर्ष कबीरधाम जिले में 90 समितियों के 94 धान उपार्जन केन्द्रों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जिले में एक लाख 385 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड के सूदूर और दुर्गम वनांचल क्षेत्रों को सघन दौरा कर नए तथा पूराने धान खरीदी केन्द्रों और धान के अवैध परिवहनों को रोकने के लिए तैयार किए गए अंर्तराज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण का आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने बोड़ला के जुनवानी जंगल, रेंगाखार, उसरवाही धान खरीदी केन्द्र और घानीखुंटा नवीन धान खरीदी केन्द्र के विभिन्न आधारभूत व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होने धान खरीदी की समुचित व्यवस्था 28 नवम्बर तक पूरा करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धान खरीदी के जिला नोडला अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी, जिला सहकारी बैंक, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने शराब और जुआबंदी के खिलाफ कसी कमर

लवन। ग्राम पंचायत कुम्हारी के आश्रित ग्राम कैलाशगढ़ के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की गत दिवस बैठक हुई। बैठक में जुआ और शराब बंदी के खिलाफ जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने कमर कस ली है। गांव में यदि कोई जुआ खेलते अथवा शराब बेचते पकड़ा गया तो उसे 50 हजार रूपये से दण्डित किया जायेगा। साथ ही बताने वाले को 50 हजार रुपए की अर्थदंड में से 35 हजार रूपये ईनाम के तौर पर दिया जायेगा। जनप्रतिनिधियो, ग्रामीणो व महिला समूह ने कहा कि युवाओं में नशे की आदत दिन ब दिन बढती जा रही थी जिससे कई परिवार बर्बाद हो रहे थे जिसे रोकने के लिये ही यह कदम उठाया गया है । ग्राम पंचायत कुम्हारी व ग्राम कैलाशगढ़ के जनप्रतिनिधियों की ओर से जुआ एवं शराब बंदी को पूर्ण तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय से ग्रामवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस मौके पर ग्राम अध्यक्ष रामजी निषाद, ग्राम सचिव महासिंग यादव, पंच लतेलू पांडे, अमरसिंह निषाद, सुखचंद विश्वकर्मा, कुंवर सिंह यादव, तिजुराम ध्रुव, फागुराम निषाद, कमलेश कुमार नेताम सहित अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

लोकसभा में श्रम कानून संबंधित तीन विधेयक पास, इंटक का धरना प्रदर्शन

नवप्रदेश संवाददाता

कवर्धा(नवप्रदेश)। लोकसभा में श्रम कानून संबंधित 3 विधेयक पास किया गया है यह तीनों बिल प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के परिभाषा को बदल सकते हैं इसका असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक द्वारा विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया असंगठित मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के विरोध के बावजूद सरकार ने देश में श्रम कानून से जुड़े तीन महत्वपूर्ण बिल पास कराए जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए मजदूर विरोधी है जिसमें देश में आजादी से पहले की कानूनों को बदला जा रहा है और इन श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिताओं में बदलाव लाया जा रहा है जिसमें देश में मजदूरों की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी ।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उद्योगों , कल कारखानों एवं उपक्रमों में काम के 8 घंटे के अधिकार को अब 12 घंटे में बदला जा रहा है। प्रोविडेंट फंड, ई एस आई और मजदूरों के कल्याण से जुड़े कानूनों को बदल दिया गया है ,रोजगार के स्थाई प्रारूप को बदलकर सीमित समय के लिए काम दिया जाएगा ।जिससे नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने वाला है केंद्र की भाजपा सरकार ने मजदूरों के विरोध करने का अधिकार को भी खत्म कर दिया है और श्रमिक यूनियन बनाने तथा हड़ताल करने के अधिकार पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाने और जेल भेजने तक के प्रावधान कर दी हैं जो मजदूरों को बंधुआ मजदूरी की तरफ धकेलने की तरफ ही काम करता है इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन विधेयकों के जरिए सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा को खत्म करना है उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानून के बदले 4 लेवर कोडो की प्रक्रिया और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, 50 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों की छटनी व जबरन रिटायरमेंट पर रोक लगाई जाए इन मांगों को लेकर इन मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया

शिकवा-शिकायत फर्जी तरीके से राशि आहरण करने का मामला, उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत

सचिव को हटाने व कार्रवाई की मांग को लेकर सरपंच व पंच हुए लामबंद

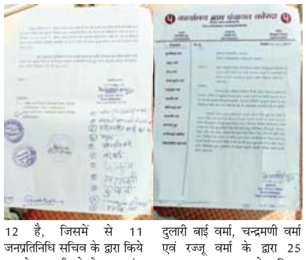

लवन। जनपद पंचायत बलौदाबाजार क्षेत्रन्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव की कार्यप्रणाली से सुर्खिया बटोर रहे ग्राम पंचायत कोरदा के सरपंच, उपसरपंच व पंचों ने ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा की गई फर्जी राशि आहरण व पिछले एक माह से अधिक दिनों से मुख्यालय नहीं आने से शासकीय कार्यो व शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने से क्षुब्ध सचिव की शिकायत जिलाधीश, जिला पंचायत व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित आवेदन देकर फर्जी राशि आहरण करने पर कार्यवाही व सचिव को हटाने मांग की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कोरदा की जनसंख्या लगभग 2200 के आसपास व कुल वार्ड 12 है, जिसमें से 11 जनप्रतिनिधि सचिव के द्वारा किये जा रहे मनमानी को लेकर सरपंच खेतरसिंह ध्रुव उपसरपंच नंद बाई वर्मा पंच फागुलाल रात्रे, अश्वनी कुमार वर्मा, खोलबाहरिन वर्मा, लक्ष्मीन बाई डहरिया, खेमिन बाई, सकुन बाई वर्मा, सरस्वती ध्रुव, दुलारी बाई वर्मा, चन्द्रमणी वर्मा एवं रज्जू वर्मा के द्वारा 25 नवम्बर 2020 को जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दकी व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार झा को लिखित शिकायत देते हुए बताया गया कि ग्राम पंचायत सचिव शिवकुमार निराला के द्वारा सरपंच को अंधेरे में रखकर बिना जानकारी दिये डी.एस.सी द्वारा लाखों रूपयों का फर्जी आहरण किया गया था। जिसकी शिकायत पूर्व में किया गया था। शिकायत पर जांचदल में जनपद पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी टी.एस. ठाकुर, करारोपण अधिकारी जंत राम पटेल व नीरज गोड़ ग्राम पंचायत भवन पहुंचे जहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत पर जांच सही पाया गया था। प्रतिवेदन के आधार पर सचिव शिवकुमार निराला के द्वारा बिना कार्य किये सरपंच की बिना जानकारी से डी.एस.सी के माध्यम से लाखों रूपयों का फर्जी आहरण करने पाया गया। आगे लिखित शिकायत में बताया गया सचिव शिवकुमार निराला के द्वारा 19 अक्टूबर 2020 से समाचार लिखे जाने तक आज पर्यन्त तक मुख्यालय नहीं आ रहा है। जिसके चलते शासन द्वारा संचालित योजना प्रभावित हो रहा है। साथ ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग भटक रहे है। सचिव के द्वारा की जा रही मनमानी से क्षुब्ध होकर ही सरपंच, उपसरपंच व पंचों ने शीघ्र ही ग्राम पंचायत सचिव शिवकुमार निराला को हटाने की मांग की है।

इनका कहना है

इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर फरिहा आलम सिद्दीकी ने कहां की दिखवाता हूं।

जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार झा ने चर्चा के दौरान बताया कि ग्राम पंचायत से शिकायत पत्र मिला है जांच के लिए भिजवाता हूं।

ग्राम पंचायत के सचिव शिव कुमार निराला से संपर्क करने का प्रयास किया गया किंतु उनका फोन स्विच ऑफ बताया गया।

2 लाख 82 हजार राशन कार्डधारियों को अब टेबलेट से नहीं, थम लगाने से ही मिलेगा राशन

- वन नेशन, वन कार्ड लागू होने के पहले शुरू हुआ ट्रायल, गाइडलाइन जारी

नवप्रदेश संवाददाता

कोरबा। कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। रोज 150 से 200 के करीब मरीज मिल रहे हैं। दूसरी ओर राशन कार्डधारियों को अब थंब लगाने पर ही राशन देने का निर्देश जारी किया गया है। पहले टेबलेट में फोटो खींचने के बाद राशन मिल जाता था। जिले में 2 लाख 82 हजार 708 राशन कार्डधारी हैं। इसमें से 39 हजार एपीएल कार्डधारक हैं। थंब लगाने से पहले सैनिटाइजर जरूरी है, लेकिन अधिकांश दुकानों में इसकी व्यवस्था ही नहीं रहती। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता। कोरोना संक्रमण की वजह से ही सोसायटी में राशन देने के पहले थंब लगाने पर रोक लगा दी गई थी। 7 महीने बाद फिर से इसे लागू कर दिया है। टेबलेट में राशन कार्डधारियों के परिवार के किसी भी सदस्य का फोटो लेकर राशन दिया

जाता था। अब दुकान संचालक सीधे थंब लगाने को कह रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं होने से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। शहरी क्षेत्र में और भी लापरवाही देखने को मिलती है।

अभी 450 दुकानों के माध्यम से बांट रहे राशन: जिले में 450 उचित मूल्य की दुकानों से राशन बांट रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 61 दुकानें हैं। ननि कोरबा में 50 नई दुकानें खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दीपका, कटघोरा, छुरी और पाली नगरीय निकायों में भी नई दुकानें खुलेंगी। 22 नई पंचायतों में दुकान खोलना है।

सहायक जिला खाद्य अधिकारी जेके सिंह का कहना है कि अब थंब लगाने के बाद ही राशन वितरण करने को कहा है। आगे इसे जरूरी कर दिया जाएगा। शुरुआत में समस्या तो होगी, लेकिन दुकान संचालकों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करने कहा गया है। समय-समय पर पूरे दुकान को सैनिटाइज कराया जाएगा।

कई बुजुर्गों का अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा

राशन कार्डधारियों में बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। भदरापारा के 60 वर्षीय वृद्धा रामबाई श्रीवास ने बताया कि अंगूठा घिसने से स्कैन नहीं होता। कई बार अपने बेटे को बुलाना पड़ता है या फिर अन्य परिजन को बुलाकर स्कैन कराती हूं। इसके बाद ही राशन मिल पाता है।

राशन बांटने की क्षमता भी हो गई है कम

टेबलेट में एक दिन में 100 कार्ड धारियों को राशन मिलता था। अब 60 से 70 लोग ही राशन पा रहे हैं। जब तक थंब का स्कैन नहीं होता, इंतजार करना पड़ता है। अमलडीहा के दुकान संचालक का कहना है कि लोगों की भी सहयोग करना चाहिए। अब भीड़ कम करनी पड़ेगी।

10 से 15 मिनट का लग रहा अतिरिक्त समय

टेबलेट में फोटो खींचने के बाद दुकान संचालकों को सुविधा थी। अब थंब लगाने से 10 से 15 मिनट अधिक लग रहा है। परसाभांठा के मनबोध सिदार ने बताया अब विलंब से राशन मिल रहा है। सुबह 10 बजे से मेरा नंबर 2 घंटे बाद लगा। पहले 1 घंटे ही लगते थे।

अतिक्रमण के नाम पर पंडो जाति एवं आदिवासियों के मकानों को गिराये जाने पर सख्त हुए मनेन्द्रगढ़ के विधायक

नायब तहसीलदार की दबंगई पर विधायक ने दिखाए कड़े तेवर

- कहा भाजपा राज के भूमाफियाओं को संरक्षण देकर पंडो जाति को समाप्त करना पड़ेगा महंगा, किसके आदेश पर की कार्रवाई
- खड़गवां जनपद पंचायत के ग्राम रतनपुर का मामला

नवप्रदेश संवाददाता

कोरिया/खड़गवां। बीते बुधवार को खड़गवां तहसील स्थित ग्राम पंचायत रतनपुर में नायब तहसीलदार के द्वारा बिना नोटिस,बिना वारंट अन्य कोई सूचना के कार्यवाही से विशेष जनजाति वर्ग के सदस्य बैगा धनुहार आदिवासी दहशत में हैं । जिसकी शिकायत मिलते ही मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने गुरुवार को मौके पर उपस्थिति होकर पुरे मामले की जानकारी ली और तत्काल नायब तहसीलदार खड़गवां को दूरभाष के माध्यम से मौके पर उपस्थित होने की बात कही। पर तहसीलदार ने बीमारी का बहाना बताते हुए पटवारी,आर आई को भेज कर खुद मौके से नदारत दिखे। जिसकी शिकायत विधायक मनेंद्रगढ़ ने कलेक्टर कोरिया से की और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए गरीब आदिवासियों पर हुई कार्यवाई पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक मनेंद्रगढ़ ने नायब तहसीलदार को भाजपा शासन में जन्मे भूमाफियाओं को संरक्षण देकर पंडो जाति, गरीब आदिवासियों को खत्म करने की बात कह कर तत्काल उन्हें वन अधिकार पट्टा जारी करते हुए उनके गिरे हुए मकान का मुआवजा देने के निर्देश दिए है। और उसके विपरीत बने हुए भूमाफियाओं के अवैध मकानों के दस्तावेजो की जाँच कर कार्यवाई की बात कही। और पुरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार पर प्रशासनिक कार्यवाई की बात कहते हुए कलेक्टर को पुरे मामले से संज्ञान दिलाया गया है ।

पीड़ित ने यूं बताई आपबीती

ग्रामीण बेल्का ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर हम लोग अवैध भूमि पर मकान बना रहे है तो उसका कोई प्रमाण है तो हमे दिखाए। स्थानीय प्रशासन ने आज दिवस से पहले कभी भी न हीं नोटिस भेजा न हीं कोई वारंट तामील कराया गया और बीते दिवस अचानक तहसीलदार के द्वारा हमारे मकान को गिरा दिया गया। जो हमारी समझ से परे है । जबकि इस भूमि पर हमारी तीन पीढ़ियों का कब्जा रिकार्ड पर दर्ज हैं। इतना ही नहीं दूसरे ग्रामीण रामू पिता बुद्ध बैगा ने तहसीलदार पर डराते धमकाते हुए गाली गलौज करने का आरोप लगाया और कहा कि मै तहसीलदार हूं । अपने दिमाक में बैठा लो ऐसी धमकी दिए जाने से बैगा धनुहार आदिवासी परिवार दहशत में हैं ।

ये है पूरा मामला

जानकारी अनुसार मंगलवार की दोपहर में खड़गवां के नयाब तहसीलदार भगवान दास कुशवाहा मंगलवार को ग्राम पंचायत रतनपुर पहुंचे और बेल्का पिता नावापरिहा धनुहार के द्वारा कराए जा रहे मकान निर्माण को ढहा दिया गया । जबकि उक्त भूमि पर सन 1948-49 के रिकॉर्ड पर बेल्का पिता नावापरिहा के नाम पर कब्जा दर्ज है और उक्त भूमि पर बैगा परिवार तीन पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते हुए आ रहे हैं और अब उसी भूमि पर अपना मकान बना रहे थे। जिसको नायब तहसीलदार ने नियम कानून का हवाला देकर स्वयं इन नियमो को दरकिनार करते हुए अपने पद का कथित दुरुपयोग करके निर्माणाधीन मकान को तोड़ दिया ।

सीसी रोड निर्माण कार्य अनियमितता को लेकर वार्डवासियों ने की शिकायत

- जब तक सीसी रोड निर्माण कार्य दुरुस्त न हो ठेकेदार को भुगतान नहीं किए जाने की मांग

गरियाबंद। वार्ड नंबर 3 महात्मा गांधी वार्ड गरियाबंद में वैराम राम साहू के घर से लेकर अनिल तिवारी घर तक सीसी रोड का निर्माण किया गया है । वह गुणवत्ता विहीन एवं बहुत ही खराब किस्म का सीमेंट उपयोग किया जाने की शिकायत वार्ड नंबर 3 के वार्ड वासियों द्वारा नगर पालिका के सीएमओ के समक्ष किया गया । वार्ड के राजेश साहू का कहना है कि लगातार सीसी रोड निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर नगर पालिका के इंजीनियर मांझी को बताया गया लेकिन कभी भी इंजीनियर द्वारा इसे प्राथमिकता देते हुए वार्ड में जाकर जांच नहीं किया गया । जिसका नतीजा यह आया की ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से घटिया सीसी रोड निर्माण कार्य कर लीपापोती का काम कर दिया गया है । वार्ड के और दूसरे लोगों द्वारा बताया गया कि मात्र झाड़ू लगाने या पैर से किस देने पर सिमेंट एवं गिट्टी उखड़ रहे हैं व धूल के समान उड़ने लगता है। इस कार्य अनियमितता की शिकायत लेकर इसीलिए आज वे नगर पालिका पहुंचे हैं । और शिकायत में लिखा गया है कि जब तक उक्त सीसी रोड का क्वालिटी परीक्षण सुधार ना हो,तब तक संबंधित कार्य अथवा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का भुगतान ना किया जावे। इस अवसर पर बिरेंद्र सेन,निकेस यादव, बैराम साहू,मनोज टंडन, कुक्की सिन्हा, युगल वैष्णव,जय सेन,आदि उपस्थित थे।

बिना मास्क घूमने वालो पर सीएमओ ने लगाया जुर्माना

नवागढ़। राज्य शासन के आदेशानुसार कोविड-19 के तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क/ फेस कवर नही पहनने को लेकर नगर पंचायत नवागढ़ सीएमओ डी एल बर्मन एवं पुलिस यातायात स्थानीय पुलिस व नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जुर्माना लगाया। जिसमें बस स्टैंड, हॉट बाजार, राजीव गांधी चौक, कॉलेज के सामने कुल 46 प्रकरण में 8000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

नहीं दिखा यूनियन की हड़ताल का असर, हर जगह कोयला उत्पादन व डिस्पैच निर्बाध गति से

कोरबा। आम हड़ताल का कोयला जगत पर खास असर नहीं पड़ा है। हर जगह उत्पादन जारी है। एसईसीएल के दीपका क्षेत्र, कुसमुंडा , गेवरा एवं कोरबा क्षेत्रो में काम पहले की तरह चलता रहा। मजदूर सामान्य दिनों की तरह उपस्थिति बनाकर ड्यूटी पर चले गए । कोरबा एसईसीएल इलाके में भी काम सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। मजदूरों को ड्यूटी पर जाने से कहीं रोका नहीं गया है। डिस्पैच का काम भी सामान्य दिनों की तरह चल रहा है। हड़ताल का कोई विशेष असर नहीं दिख रहा है।

केंद्र सरकार की कर्मिशियल माइनिंग, विनिवेश, श्रम विरोधी नीति, कृषि कानून के विरोध में दस श्रमिक संगठनों ने आज देशव्यापी हड़ताल किया, इस हड़ताल का असर औद्योगिक जिला कोरबा में मिला-जुला असर देखा गया है। एसईसीएल की सर्वाधिक कोयला उत्पादन होने वाली गेवरा, कुसमुंडा, दीपका खदान में हड़ताल का कोई असर नहीं रहा। गेवरा में 12 त्न कोयला कर्मचारी ही हड़ताल में शामिल हुए वही कुसमुंडा खदान में हड़ताल में गिनती के श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए । दीपका में भी हड़ताल बेअसर साबित हुई है। तीनो क्षेत्रो में कोयला का उत्पादन और डिस्पैच कार्य सामान्य दिनों की तरह जारी रही। कुसमुंडा खदान से हसदेव ताप विधुत संयत्र गेवरा खदान से एनटीपीसी कोरबा संयत्र, व दीपका खदान से एनटीपीसी सीपत संयत्र को कोयला आपूर्ति बाधित नहीं हुई है ।

राजिम मेला स्थल के लिए 54 एकड़ स्थल का चिह्नांकन

- कलेक्टर ने किया चिन्हित स्थल का मुआयना
- अधोसंरचना विकास में आएगी तेजी

गरियाबंद। त्रिवेणी संगम राजिम में प्रतिवर्ष माघी पुन्नी के अवसर पर लगने वाले राजिम माघी पुन्नी मेला के आयोजन के लिए स्थाई रूप से जमीन का चिन्हांकन और उसमें आवश्यक अधोसंरचना विकास की प्रक्रिया तेज हो गई है। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जी. डी. वाहिले और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ चौबेबांधा रोड पर चिन्ह अंकित 54 एकड़ जमीन का मुआयना किया। कलेक्टर ने इन स्थलों का जायजा करते हुए कहा की इस क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए निश्चित कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने संतो के निवास, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मीना बाजार, नागा अखाड़ा, मुख्य मंच ,शौचालय ,आवास, कौशल्या

विधायक ने की कार्य प्रगति की समीक्षा :

इस मौके पर राजिम रेस्ट हाउस में विधायक अमितेश शुक्ल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्य प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजिम मेला के लिए चिन्हित जमीन और उसमें अधोसंरचना विकास के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में श्री शुक्ल ने कहा की सभी प्रस्तावित और स्वीकृत कार्य समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की समस्या आने पर उन्हें अवगत कराएं। श्री शुक्ला ने सड़क ,पुलिया और स्कूल निर्माण को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही कहा कि कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।इस मौके पर कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जी डी वाहिले, तहसीलदार ओ. पी. वर्मा, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री एम.आर. जाटव एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

माता मंदिर सहित अनेक आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए अधिकारियों से चर्चा की ।

कलेक्टर ने कहा की आवश्यकता पड़ने पर इन स्थलों पर निजी जमीनों का भू-अर्जन कर बदले में जमीन दी जाएगी। उन्होंने पटवारी को आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौजूद धरसा का सीमांकन करने के लिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं।

एनएमडीसी को एनआईपीएम ने नेशनल एचआर बेस्ट प्रेक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया

हैदराबाद। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी एनएमडीसी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (एनआईपीएम) ने नेशनल एचआर बेस्ट प्रेक्टिसेस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया। गोल्ड वर्ग का अवार्ड अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम कार्यस्थल पद्धतियों को मान्यता प्रदान करता है जिनसे बेहतर परिणामों के लिए मानव संसाधनों का रणनीतिक व्यावसायिक साधन के रूप में उपयोग कर उद्यमों की सफलता प्रभावित होती है। एनएमडीसी को उसकी अनूठी तथा संरचनात्मक

मानव संसाधन पद्धतियों के लिए सम्मानित किया गया। एनएमडीसी को यह विशेष सम्मान उद्योग का नेतृत्व करने वाली तथा प्रगतिशील मानव संसाधन पद्धतियों के लिए प्रदान किया गया है।

एनआईपीएम नेशनल बेस्ट प्रेक्टिस अवार्ड की स्थापना उद्योग जगत में मानव संसाधन संकल्पनाओं तथा आकांक्षाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह अवार्ड बड़े क्षेत्र के उद्योगों में नियोक्ता ब्रांड को अपने कार्यबल की आकांक्षाओं तथा विचारों के अनुरूप बनाने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अवार्ड का उद्देश्य कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप मानव संसाधन कार्यक्रम तथा नीतियां बनाने वाले संगठन की मान्यता प्रदान करना है। एनएमडीसी लिमिटेड एक ऐसी इको प्रणाली का सृजन करने में सफल रहा है जो कर्मचारियों को अपने कौशल का विकास करने की शक्ति प्रदान करता है तथा रणनीतिक सफलता के लिए मानव संसाधन पद्धतियों के महत्व को प्रदर्शित करता है।